हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 15

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 15 मार्च, 1989

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(15)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(15)23
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(15)24
वाक आउट	(15)25
स्पष्टीकरण–	(15)26
मुख्य मन्त्री /उप मुख्य मन्त्री द्वारा विशेषाधिकार भंग का प्रश्न–	(15)30
श्री रघु यादव एम० एल० ए० के विरूद्ध	
वाक आउट	(15)32
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(15)32
समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना–	
(1) कमेटी औन सबार्डिनट लैजिस्लेशन की 20वीं रिपोर्ट	(15)33

(2) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 20वीं रिपोर्ट	(15)33
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(15)33
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(15)33
बिल्ज–	
(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं०2) बिल, 1989	(15)34
(2) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल 1989	(15)53
(3) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिज एंड पैशन औफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1989	(15)68
(4) दि इडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) विल, 1989	(15)69
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–	
(1) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी (पेश नहीं हुआ)	(15)71
(2) वर्ष 1985– 88 के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वार्षिक रिपोर्ट सम्बन्धी (बहस हुई)	(15)71
(3) वर्ष 1986–87 के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की प्रशासनिक रिपोर्ट संबंधी (पेश नहीं हुआ)	(15)74

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, अब क्वैश्चन होंगे।

Opening of the Branch of Co-operative Bank at village Rookhi

***696. Chaudhri Kishan Singh Sangwan :** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the. Government to open a branch of the Co-operative Bank at Village Rookhi rn Tehsil Gohana ; and

(b) if so, the time by which the said branch is likely to be opened?

Minister of State for Co-operation (Dr. Raghuvir Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The branch at Rookhi will start functioning after the close of the accounts of the socities affiliated to it (on 31-3-89).

चौधश्री किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसका मतलब यह है कि 31—3— 1989 को सोसाइटीज के अकाउंट्स क्लोज हो रहैं हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह शाखा फर्स्ट अप्रैल, 1989 से फंक्शन करना शुरू कर देगी?

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, यह शाखा फर्स्ट वीक औफ अप्रैल, 1989 से फंक्शन करना शुरू कर देगी।

Reservation in Class I and II Posts

***708. Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide reservation in class I and II category of posts at the time of promotions ; and

(b) if not, the reasons thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh)

(a) No, Sir.

(b) The reservation benefit provided in promotion in Class III & IV posts automatically benefits the reserved category employees by way of rapid promotion to Class II & I posts. Therefore there is no necessity for reservation in promotion to Class I & II posts.

स्पीकर साहब, यह जवाब तो लिखित रूप में है लेकिन मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहूगा कि कल ही मुख्य मंत्री जी ने मुझे सदन में बताने को कहा है कि सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में दिनांक 9– 2– 1979 को एक सर्कुलर लैटर नम्बर 38/20/78/2 जी० एस० इशू किया गया था जिसमें क्लास टू की पोस्टों पर रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इंस्ट्रक्शन अब तक इम्मीमैंट क्यों नहीं की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को पता है कि वह सरकार जून, 1979 में चली गई थी। कल ही मुख्य मन्त्री जी ने चाहा है और मुझे कहा है कि मैं सदन को यह इत्तलाह दूं कि हम इस पर गौर करेंगे।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इस महान सदन के नेता ने यह कहा है कि इस पर गौर किया जाएगा। गवर्नमैंट ओफ इंडिया की जितनी भी सर्विसिज हैं उनके अन्दर प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है और हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब में भी क्लास टू पोस्टों की प्रमोशन में रिजर्वेशन है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इस बारे में गौर करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, दोनों जगहों पर प्रमोशन में रिजर्वेशन है, इसीलिए तो मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस पर गौर किया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, रिजर्वेशन का बैनिफिट अप्यायंटमैंट के समय एक बार देने के बाद यदि प्रमोशन में फिर दिया जाएगा तो क्या जनरल कैटेगरीज के लोगों में हार्ट बनिग नहीं होगी? मैं आपके हारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स रकार इस बारे में क्या विचार रखती है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अभी केवल इतनी ही कमिटमैंट की है कि सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री पीरु रामः स्पीकर साहब, जो क्लास थ्री कर्मचारी एच०सी०एस० नौमिनेट किये जाते हैं, क्या उनकी नियुक्ति नई मानी जाती है या उनको प्रमोटिड माना जाता है? अगर उनकी नियुक्ति नई मानी जाती है तो क्या इसमें हरिजन या पिछड़े वर्ग या भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन के हिसाब से पदोन्नत करने का प्रावधान किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वेरियस डिपार्टमैंट्स से कुछ नाम आते हैं और उनको कंसीडर करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जो नौमिनेशन के लिए अपनी रिकोमैंडेशन देती है।

नौमिनेशन के बाद जिस कैटेगरी का प्रमोटी होगा उसी कैटेगरी का माना जाएगा।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस समय पुलिस में क्लास– 3 में कांस्टेबल की भर्ती के बाद हवलदार की प्रमोशन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि हवलदार की प्रमोशन के लिए कांस्टेबल को धारा बी– 1 के तहत टैस्ट पास करना पड़ता है। इस टैस्ट क्रो पास करने के बाद ही उसको प्रमोशन दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस धारा बी– 1 को हटाकर हवलदार की प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बाकायदा धारा बी– 1 के तहत टैस्ट लिया जाता है और इस टैस्ट के आधार पर ही उन्हैं प्रमोशन मिलती है।

Additional Session Judge, Sonipat

***707. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether the Additional Session Judge of Sonipat was krdnapped during the month of November-December 1988 ;

(b) if so, whether the aforesaid Judge has been traced out; if so, the name of the place from where he was traced out; and

(c) whether the persons who kidnapped the afore-said Judge have been arrested; if so, the offence under whrch they have been arrested together with the names and addresses of the kidnappers?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां, 3– 12–88 को अपहरण किया गया।

(ख) हां, उन्हैं गांव सरूरपुर, जिला मेरठ (यू० पी०) के खेतों से ढूंढ लिया गया।

(ग) हां, अभियोग संख्या 294/88 धाराधीन 395/397/364/343/347/120–बी भाः दः सः थाना गन्नौर में हरियाणा पुलिस द्वारा निस्तलितखत दोषियों को गिरफतार कर लिया गया, जबकि एक दोषी बुन्दु पुत किचरू मुस्लिम लौहार, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुकाबले में मारा जा चुका है–

(1) रत्न सिंह पुत्र चन्दगी राम जाट निवासी गांव मेहन्दीपुर थाना राई को अधीन धारा 120–बी/216 भाः दः सः में।

(2) राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दगी राम जाट निवासी गांव मेहन्दीपुर थाना राई को अधीन धारा 395/ 397/364/343/347 भाः दः सः में।

श्री मंगल सैनः क्या गृह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि ऐडीशनल सैशन जज के अपहरण का क्या कारण था?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, वे ऐडीशनल सैशन जज 3–12–1988 को पौने ग्यारह बजे सपन होटल में खाना खाने के लिए गए थे। जब खाना खाकर वे बाहर निकले तो बदमाश उनके आगे राईफल लेकर आ पए और राईफल दिखा कर उसी समय उनको किडनैप करके ले गए। उनका उद्देश्य उनसे सामान या पैसा ऐंठने का था।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास सोनीपत के वकीलों की कोई शिकायत आई कि वास्तव में वह सैशन जज और बदमाशों की मिली भगत का मामला था दरअसल उसको उठाया नहीं गया था बल्कि इसके पीछे कोई लेन देन की बात है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि इन बदमाशों का उद्देश्य शायद जज साहब से सामान या पैसा लूटने का था। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये अपना रिकार्ड देखकर बता सकते हैं कि रत्न सिंह और राजेन्द्र सिंह सपुत्र चन्दगी राम जाट, निवासी मेहन्दीपुर का पिछला रिकार्ड क्या है? क्या ये हैबिचुअल क्रिमिनल्ज तो नहीं हैं या उन्होंने पहली बार ऐसा किया है!

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये सभी छोटी–मोटी वारदातों में शामिल रहैं हैं। एक दोषी बुन्दु पुत्र किचरु का पास्ट रिकार्ड यह है कि उसने दर्जनों कत्ल किए और वह किडनैपिंग और एबडक्शन के मामलों में शामिल रहा था।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, ऐडीशनल सैशन जज का अपहरण होना खुद में एक बड़े भारी महत्व की बात है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बदमाशों ने इन का अपहरण किया है, उनका कोई मामला इनके विचाराधीन हो?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। इस कैपैसिटी में तो इनकी किडनैपिंग ही नहीं हुई। ये बदमाश सैशन जज की कैपेसिटी में उनका अपहरण करके नही ले गए बल्कि उन्हैं कपड़े का दुकानदार समझकर ले गए थे।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इन ऐडीशनल सैशन जज महोदय की इल्लीगल कन्फाईनमेंट की गई। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये बदमाश कब उन्हैं ले गए और उनको कहां पर रखा तथा कितने दिनों बाद छोड़ा?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि उन्हैं 3–12–88 की रात को ले गए थे और रास्ते में उन्होंने जमुना भी पार की है। इसमें समय तो लगा है। अगले दिन सुबह

4—00 बजे ये रसूलपुर गांव में पहुंचे। उन्हैं बाद में 10 तारीख को छुड़वाया गया था।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मन्त्री महोदय ने फरमाया कि किडनैपर्ज ने उन्हैं कपड़े का व्यापारी समझा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आइडैटिटी डिस्कलोज क्यों नहीं, की कि मैं व्यापारी नहीं, सैशन जज हूं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, दो दिन बाद उन्होंने अपनी आईडैंटिटी डिस्कलोज की। पहले तो उन्होंने अपने आप को कपड़े का व्यापारी ही बताया था। वकील ने अपनी आइडैटिफिकेशन दी थी कि मैं वकील हूं। उसके पास जो 500—700 रुपए थे, वे उन्होंने ले लिए थे और उसे छोड़ दिया था।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस समय माननीय जज साहब का अपहरण किया गया, क्या उस समय उनके साथ कोई और व्यक्ति भी था, यदि था तो उसका नाम क्या है?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अपहरण के समय उनके साथ एक बकील था जिसका नाम श्री हरमहैंन्द्र सिंह मुदगिल है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय गृह मन्त्री जी ने फरमाया कि वे रात को 1045 बजे होटल में भोजन

करने गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे भोजन करने रात के 10.45 बजे क्यों गये?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, रात को 10.45 बजे खाना खाने का कारण तौ वे ही जान सकते हैं लेकिन हरियाणा में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर थाना खाने जा सकता है और उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, वकील मुदगिल की तरफ से एक शिकायत की गई थी यदि मुझे उसकी कापी उपलब्ध हुई तो मैं पेश करुंगा। वकील मुदगिल और जज साहब का आपसी लेन देन का मामला था और आपस में मुकदमा था जिसके कारण यह घटना घटी। मैं मनी महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई छानबीन की गई थी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि यह प्रमाण दे दें तो बाकायदा जांच करवा ली जाएगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, 3 दिसम्बर और 10 दिसम्बर के बीच एस० पी० सोनीपत, मेरठ जेल में पेशेवर मुलजिमों से मिले थे। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे वहां क्या करने गये थे और उनके मध्य क्या बातचीत हुई थी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, पत्रा नहीं वे कितने मुलजिमों से मिले हैं और कितने लोगों से उन्होंने कांटैक्ट किया

होगा। यह बड़ी सीरियस बात थी क्योंकि एक एडीशनल जज के स्टेट्स के आदमी की अबडक्शन हो गई थी। हाउस को तो पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन की दाद देनी चाहिए क्योंकि पुलिस के दबाव के कारण ही वे बदमाशों के कब्जे से सुरक्षित लौट सके।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जज साहब को फिजीकल टौर्चर तो नहीं किया गया और क्या उनकी रिकवरी ईख के खेत से हुई या किसी गांव से हुई?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से पुलिस का दबाव पड़ा हुआ था। पुलिस की इतनी फोर्स को देखकर अपराधी भयभीत हो गये और जज साहब को खेत में छोड़कर भाग खड़े हुए। खेत से चल कर वे सड़क पर आये और किसी से 10/– रुपये किराया लेकर वापिस सोनीपत पहुंचे।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर सर, मैंने पूछा था कि क्या उन्हैं फिजिकली टौर्चर किया गया या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, फिजीकल टौर्चर तो अपने आप हो गया जब उन्हैं अपहरण के बाद पानी में से तथा कीचड़ में से जबरदस्ती यमुना पार ले जाया गया। एक जज के स्टेटस के व्यक्ति के लिए तो इतना होना भी फिजीकल टौर्चर ही है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय, ने बताया कि जज साहब का किडनैप हुआ था और उन्होंने अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया था। स्टेट में जज का किडनैप हो जाना एक गम्भीर मामला है हालांकि बाद में उनकी बरामदगी भी हो गई। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस बारे में कोई इन्क्वायरी की गई कि ऐसा क्यों हुआ?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हर मामले में जिसके बारे में कम्पलेन्ट की गई हो बाकायदा पूछताछ और छानबीन की जाती है लेकिन मैं यह फिर दोहराना चाहता हूं कि सैशन जज के रूप में उनकी ऐबडक्शन नहीं हुई बल्कि एक व्यापारी के रूप में हुई है। परन्तु व्यापारियों को भी सुरक्षा प्रदान करने की गारन्टी यह सरकार देती है।

चौधश्री किशन सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, सैशन जज साहब की किडनैपिंग के बारे में पुलिस ने समझदारी, सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया है और उन्हें सुरक्षित वापिस भी लाया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस कर्म– चारियों, जिन्होंने साहस और सूझ–बूझ का परिचय दिया है, को पदोन्नति या कोई अन्य प्रोत्साहन देने के बारे सरकार कोई विचार कर रही है ई

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं है, इस मामले के अन्दर तो सारा पुलिस

ऐडमिनिस्ट्रेशन ही लगा हुआ था चारों तरफ से घेरा– बन्दी हो रही थी, छापे भी पड़ रहैं थे और छानबीन के लिए चारों ओर आदमी भेजे हुए थे। समय समय पर सूझ–बूझ वाले और बहादुर कर्मचारियों को प्रोतसाहन एवं पुरस्कार लोकल एस० पी० और डी० एस० पी० वगैरह देते ही रहते हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जज साहब ने अपने आप को कपड़े का व्यापारी क्यों बताया जबकि वकील ने बता दिया कि वह वकील है? और उन्होंने क्यों नहीं वताया कि वे जज हैं? अपनी आईडैटिटी छुपाने का क्या कारण था?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसी बात हो कि अपहरणकर्ताओं का कोई केस उनके पास पड़ा हो और यह बताने से उन्हैं कोई नुकसान न हो जाये, इसी कारण से वे भयभीत रहैं हों और उन्होंने अपने आपको कपड़े का व्यापारी बताया हो।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि बहुत से लोगों से पूछताछ की गई। यह ठीक बात की क्योंकि जो पकड़े जाते हैं या इनवौल्वड होते हैं, उन सब से पूछताछ तो की ही जाती है। फिर इन्होंने यह भी कहा कि शायद भय की वजह से जज साहब ने अपनी आईडैटिटी डिसक्लौज न की हो। क्या इस बारे में मन्त्री महोदय के पास

डैफिनिट इन्फर्मेशन नहीं है? स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से डैफिनिट इन्फर्मेशन जानना चाहता हूं कि उनके उठाये जाने का क्या कारण था?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, उठाये जाने का कारण पैसा ही था। वे किडनैपर्ज थे और उनका यही काम था।

Cooperative Mills in the State

***918. Shri Shiv Lal :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the ,total number of cooperative Mills in the State at present;

(b) the number of Cooperative Mills out of those referred to in part (a) above which have earned profit/suffered loss during the last three years ; and

(c) the total amount as dividend paid by each Mills to the share holders during the period as reffered to in part (b) above ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghuvir Singh) ;

(a) Eight, including Seven Cooperative Sugar Mills and one Sprnning Mills.

(b)

Yean	No. of Mills which made	No. of Mills

	profit.	which incurred loss.
1985-86	2	6
1986-87	5	3
1987-8	5	3

(c) Nil

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के 'ब' भाग के जवाब में लाभ और हानि दोनों बतायी हैं लेकिन भाग 'ग' के उत्तर में बताया है कि अंशधारियों को लाभांश का कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हैं लाभांश का पैसा क्यों नही दिया गया, इसका क्या कारण हैं?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर सर, मैं पिछले चार साल के लौसिज और बैलेन्स शीट के बारे में बताना चाहूंगा। सन् 198 4–85 में शूगर मिलों में तकरीबन 8 करोड़ 94 लाख के टोटल लौसिज थे। सन् 1985– 86 में 5 करोड़ 62 लाख के लौसिज थे लेकिन जब से हमारी सरकार आयी है उसके बाद सन् 1986– 87 में 1 करोड़ 70 लाख का प्रौफिट हुआ और पिछले साल लगभग 3 करोड़ 99 लाख का प्रौफिट हुआ। ऐक्यूम्यूलेटिड लौसिज पीछे ज्यादा थे। उन लौसिज के बेस पर नन्हैं लाभांश का पैसा नहीं दे

सके। दूसरे क्राइटेरिया का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें लोन की इनस्टालमैंट देनी पड़ती शै। डिवीडैन्ड दूसरी फार्म में दिया गया है। ट्रांसपोर्ट चार्जिज, सीड ट्रीटमैंट या केन डिवैल्पमैंट के रूप में इसे दिया गया है। मेजर ऐक्यूम्यूलेटिड लौसिज होने की वजह से इसे नगदी में नहीं दिया जाता।

श्री शिव प्रसादः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि सन् 1985–86 वे कौन–कौन से दो मिल लाभ में थे और कौन–कौन से छरू मिल हानि में थे?

डा० रघुबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सन् 1985–86 में पानीपत शूगर मिल 36 लाख रुपए के घाटे में था, रोहतक शूगर मिल प्र. 26 लाख रुपए के घाटे में था, करनाल शूगर मिल 73.67 लाख के प्रौफिट में था, सोनीपत शूगर मिल 4.19 लाख के प्रौफिट में था, शाहबाद शूगर मिल 138.62 लाख के घाटे में था, जीन्द शूगर मिल भी 220 लाख के घाटे में था और पलवल शूगर मिल 235.97 लाख के घाटे में था।

श्री शिव लालः स्पीकर साहब, हर साल हरेक शूगर मिल में कोई फार्मर जितना भी गन्ना सप्लाई करता है, उसमें से एक रुपए प्रति क्विटल के हिसाब से शेयर डिडक्शन होती है। वह पैसा ऐक्यूम्यूलेट होता रहता है। कई साल ऐसा होते हो गए हैं। जब प्रौफिट होता है तो डिविडैड देना ऐम्पलायर के लिए कम्पलसरी है। रोहतक शूगर मिल को लगे हुए 20 साल के लगभग हो गए

हैं। लेकिन आज तक कभी भी लोगों को डिविडैड नहीं मिला है। जब लौस होता है तब तो कोई बात नहीं लेकिन जब प्रौफिट होता है, फिर भी फार्मर्ज को उनके शेयर पर डिविडैड क्यों नहीं दिया जाता? क्या सरकार इस बात को सोचेगी कि या तो आगे से यह एक रुपए की डिडक्शन बन्द की जाए या उनको डिवीडैड दिया जाये।

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर सर जहां तक मिल की कंस्ट्रकशन कास्ट का सम्बन्ध है, वह साढ़े सात परसैंट शेयर के रूप में हम फार्मर्ज से लेते हैं, साढ़े बतीस परसैटं स्टेट गर्वनमैंट देती है और शेष 60 परसैटं हम सैट्रंल एजेंसिज से लेते हैं। यह जो साढ़े सात्र परसैंट अमाउन्ट है, थह मेरे अन्दाजे के हिसाब से दो करोड़ रुपए के करीब पड़ती है। दो करोड़ रुपया शेयर के रूप में फामर्ज से अगर इनीशियल स्टेज पर लिया जाए तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। शुरू से लेकर अब तक तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब शेयर इकट्ठा हुआ है। बाकी जो दो करोड़ में से अमाउन्ट बचती है, वह मिल चलने के बाद एक फार्मर से एक रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ले ली जाती है। जहां तक डिवीडैंड देने की बात कही है, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही जबाब दिया है कि ऐक्यूम्यूलेटिड लौसिज की बजह से डिवीडैड नहीं दिया जाता।

डा० बृज मोहनः आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय मन्त्री जी ने यह बताया है कि जो 7 कोआप्रेटिव शूगर मिलें हैं, वे

तकरीबन घाटे में रही हैं। एक प्राइवेट शूगर मिल हरियाणा के अन्दर है, वह कभी घाटे में नहीं आयी। वह बढा भारी मुनाफा कमा जी है और वह जगाधरी में है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन शूगर मिलों के घाटे में जारने के कारणों की क्या कोई जांच पडताल करायी गयी है या नहीं? क्या कारण है कि वह अकेली शूगर मिल जो प्राइवेट सैक्टर में है, इतना पैसा कमा रही है और हमारी इन सात मिलों से ज्यादा पैसा कमा रही हैं?

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में लगे इन यूनिट्स में मैनेजमैंट और दूसरे कई अन्तरों के कारण घाटा है। हमारी शूगर मिल्ल के लौसिज में होने के मेन रीजन्ज जो हैं वे यह हैं। पहली तो टीथिग प्रोब्लम है। दूसरे मशीनरी की हाई इंसिडैसं औफ डैप्रिसिएशन, तीसरे शार्टिज आफ केन है। यह 1979–80 और 1980–81 में भी थी और 1985–86 में भी रही है। इसके बाद नौन–अवेलेबिलिटी औफ इन्सैंटिव्ज रिकोमैंडिड इन सम्पत कमेटी रिपोर्ट है। इसके अलावा अन–इकोनोमिक लैवी प्राईस आफ शूगर है। इसमें मैं एक प्वायंट आपको इस हाउस के माध्यम से बताऊं कि इस बार हमारी जो लैवी की शूगर है, उसकी प्राईस 4 रुपए 41 पैसे प्रति किलो है और यमुना के दूसरी तरफ यू० पी० शूगर मिल्ज की लैवी शूगर की प्राईस, जो सैट्रल गवर्नमैंट देती है, वह 4 रुपए 61 पैसे प्रति किलो है। इस तरह से यह भेदभाव सैंट्रल सरकार हमारे साथ कर रही है। 20 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क है। 20 लाख क्विंटल चीनी

का इस बार हमने उत्पादन का टारगेट रखा है। इस तरह से टोटल 4 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान एक नहर बीच में होने की वजह से है जो केन्द्र की सरकार यहां के किसानों का कर रही है। डाक्टर साहब, ये कई रीजन्ज इन शूगर मिल्ज के लौस में जाने के हैं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्टेट में कौन सी मिल कितने घाटे में थी और कौन सी मिल कितने मुनाफे में थी? यह सूचना आप 1987–88 की दे दें और यह भी बताएं कि टोटल मिलाकर कितना घाटा या प्रोफिट हुआ?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, 1987–88 में पानीपत शूगर मिल 32. 82 लाख रुपए घाटे में रही, रोहतक शूगर मिल 70 लाख रुपए के प्रोफिट में रही, करनाल शूगर मिल, 124 लाख रुपए के प्रौफिट में थी, सोनीपत मिल 20.36 लाख रुपए के घाटे में थी, शाहबाद की शूगर मिल 195.15 लाख रुपए के प्रौफिट में थी, जींद की शूगर मिल 64.72 लाख रुपए के प्रौफिट में थी। पलवल शूगर मिल 37.48 लाख रुपए के प्रौफिट में थी। इस तरह से जो टोटल प्रौफिट हुआ, वह 3 करोड़ 99 लाख 37 हजार रुपया था।

चौधरी सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, पानीपत में डिस्टिलरी होने के साथ–साथ शूगर मिल भी है। क्या मन्त्री

महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल में लगातार घाटा क्यों हो रहा है और घाटा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक डिस्टिलरी का सवाल है। डिस्टिलरी का मिल के प्रौफिट और लौस के साथ कोई सम्बन्ध नही है। पानीपत शूगर गिल लौस का मेन कारण गन्ने की नौन–अवेलेबिलिटी रही है और दूसरा कारण इस मिल का डिफैक्टिव ऐक्सपैन्शन रहा है। इनीशियली यह मिल 1250 टन की कैपेसिटी की लगाई गई थी लेकिन उसके बाद इसकी कैंपैसिटी बढ़ाई गई है। उस ऐक्सपैन्शन और दूसरी बातो को मद्देनजर रखते हुए इम्प्रूवमैंट किया जा रहा है?

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985–86, 1986–87 और 1987–88 में यह मिल उत्तरोत्तर हानि में चल रही थी लेकिन अब यह मिल लाभ में चल रही है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस वक्त हानि के क्या कारण थे और अब लाभ के क्या कारण हैं? अब जो लाभ हो रहा है उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जो हानि के कारण थे उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि हमेशा प्रौफिट हो सके?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, जो लौसिज के रीजन्ज थे, वे मैंने पहले ही बता दिये हैं लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछली बातों में और अब

की बातों में बहुत फर्क है। जहां तक इम्प्रूवमैंट की बात है हमने मिल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गाइडलाईज दी हैं। हम इसी बात की कोशिश में हैं कि यह मिल प्रौफिट में चलें। स्पीकर साहब, अगर हमें गन्ना' मिलता रहा तो यह मिल नुक्सान में गृहों जाएंगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, यह सर्वविदित है कि हरियाणा प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां किसान को गन्ने की सब से ज्यादा कीमत दी जाती है। इसके बावजूद मिल्ज को लाभ हुआ हैं यह प्रशंसनीय बात है। अभी मन्त्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार लैवी की शूगर की कीमत बीस पैसे पर–किलो कम देती है और इस कारण चार करोड़ रुपये का नुक्सान हरियाणा को होता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृप्या करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कम कीमत देने का कोई कारण दिया है या यह कांग्रेस विरोधी सरकार होने के कारण ऐसा किया गया है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर, साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सदन के नेता चौधरी देवी लाल ने हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ने की कीमत यानी 35 रुपए पर–क्विंटल दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि सारे देश में हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर किसानों की एक भी पाई हमारे पास बकाया नहीं है। जहा तक आर्य जी के सवाल का ताल्लुक है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह जो लैवी चीनी की प्राइस कम दी हैं यह

तो हमारे अच्छे काम का वरदान मिला है। जो केन्द्रीय सरकार ने हूं कम कीमत दी है, यह मिलों में फायदा होने का वरदान मिला है।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, पिछले साल चूं कि बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा था। इस कारण किसान का गन्ना कम पैदा हुआ था। किसान ने जो गन्ना मिल को देना था उसका किसान से बौंड भरवाया गया था लेकिन किसान सूखे की वजह से उतना गन्ना नहीं दे सका। पिछले साल हाउस में जब यह बात आई थी कि पूरा गन्ना न देने की वजह से किसान से पैनल्टी ली जा रही है तो पैनल्टी लेना रोक दिया गया था। इस बार सोनीपत मिल में पिछले साल वाली पनैल्टी किसान से ली जा रही है। क्या मन्त्री महोदय इस चीज का इलाज करने के बारे में विचार करेंगे कि यह पैनल्टी क्यो ली जा रही हैं?

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे साथी ने पैनल्टी की बात –उठाई है। अध्यक्ष महोदय, यह पड़ता सिस्टम के अन्डर आता है। पडता सिस्टम के अन्दर बौडिंग की जाती है। किसान के पास कितना गन्ना अवेलेबल है उसके हिसाब से किसान से बौंड भरवाया जाता है। अगर किसान उतना गन्ना सप्लाई नही करता तो किसान से पैनल्टी लेते हैं और अगर मिल गन्ना नहीं लेती तो मिल पर पैनल्टी लगती है। यह पैनल्टी मिल अपने पास नहीं रखता। अध्यक्ष महोदय, किसान से ली गई पैनल्टी उन किसानों में बांट दी जाती है जो ज्यादा गन्ना मिल में सप्लाई करते हैं।

पिछले साल की कोई पैनल्टी किसान से नहीं ली गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करवा ली जाएगी, यह आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देता हूं।

10.00 बजे।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां किसानों हरि। कम गन्नों देने पर पैनल्टी लगाई जाती है, वहां क्या किसान को यहं भी गारन्टी दी जायेगी कि उसके पास जो सरप्लस गन्ना है, वह भी मिल ले लेगा?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर सर, एक मिल तो उतना ही गन्ना लेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है लेकिन जो किसान ज्यादा गन्ना देते हैं उन्हीं के बीच में वह पैनल्टी वाला अमांउट डिस्बर्स कर दिया जाता है।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, पलवल लूगर मिल की गन्ना पेलने की कपैसिटी 23 हजार क्विंटल की है और सर्वे के अनुसार उस इलाके में 45 लाख टन गन्ना अवेलेबल है। ऐसी हालत में सरकार क्या करने का विचार रखती है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, जब पलवल शूगर मिल लगायी गयी थी उस वक्त पलवल के अन्दर गन्ना बिल्कुल नहीं था लेकिन गन्ना पैदा करने की क्षमता थी। उसी हिसाब से वहा पर 1250 लाख टन कैपेसिटी कीं शूगर मिल लगाई गई। पिछले साल गन्ने की प्रोब्लम थी औंर साथ में वहां सूखा भी

पड़ा। उस सूखा पड़ने के बावजूद भी हमारी सरकार ने गन्ने की कीमत 24 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 32 रुपये पर क्विंटल करं दी थी जिसकें कारण से किसानों ने गन्ने का उत्पादन ज्यादा किया जोकि मिलों की कैपेसिटी से बाहर की बात है। अब वे वैसे तों बौंड के हिसाब से केन प्रोडक्यूस करते हैं लेकिन ज्यादा गन्ने के उत्पादन को देखते हुए उस मिल की ऐक्सपेन्शन के लिये हम सोच सकते हैं, यह आश्वासन मैं देता हूं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय क्या मन्त्री जी बताएंगे कि पिछले चार सालों से इन सभी सात लूगर मिलों का कोई इजलास बुलाया गया है। क्योंकि कोओप्रेटिव ऐक्ट में इस बात की प्रोविजन है कि हर साल इस तरह की समा का आयोजन किया जाए और अगर इजलास नहीं बुलाया गया तो इसके क्या कारण हैं? दूसरी बात मेरी यह है कि सूखा पड़ने के कारण सोनीपत और पानीपत के किसानों के०पर गन्ना कम सप्लाई करने के लिये जो पैनल्टी लगायी गयी है, क्या उसको माफ करने का सरकार का विचार हैं?

डा० रघुवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पैनल्टी के बारे में तो मैं पहले ही माननीय सदस्यों को बता चुका हूं। जहां तक इजलास की बात का सम्बन्ध है, इसके लिये अगर वे अलग से नोटिस दे तो हम बता देंगे।

Setting up of Sugar Mills

***868. Shri Ranjit** Singh: Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Sugar Mills in Co-operative sector at Meham, Kaithal and Bhuna have been set up; and

(b) if so, the time by which the afore-said Mills are likely to start functioning ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghubir Singh) :

(a) These three Mills are being set-up.

(b) All the three Mills are likely to start crushing from 1990-91 curshing season.

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन तीनो मिलों की कंस्ट्रक्शन का जो कार्य करवाया जाएगा, क्यॉ वह को–अपरेटिव सैक्टर द्वारा करवाया जाएगा या किसी और एजेन्सी द्वारा करवाया जाएगा।

डा० रघुवीर सिंहः अष्यक्ष महोदय, इन तीनों मिलों का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय कर चुके हैं। लैण्ड ऐक्वायर की जा चुकी है और फाइनैंसिज का इन्तजाम करने सम्बन्धी कार्यवाही भी इनीशिऐट की जो चुकी हैं। इन तीनों को कंस्ट्रक्शन के टैण्डर तकरीबन एक साथ इंवाइट किये जाएंगे। जहां तक प्लांट्स की परचेज की बात है, वह हम फाईनल 'कर

चुके हैं। हर बात को मद्देनजर रखते हुए दो प्लांट्स के लिये आर्डर हमने कोआप्रेटिव सैक्टर की एन० एच० सी० को और एक प्लांट का आर्डर आर० एन० सी० को, जो गवर्नमैंट अंडरटेकिंग है, 12 करोड़ 93 लाख रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से दिये हैं जबकि दूसरी स्टेट्स में एक प्लांट की कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये दी गई है।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया था कि सैटर की गवर्नमैंट हमें जो लेवी शूगर की प्राइस दे रही है, वह यू० पी० के शूगर मिलों से कम दे रही है। मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने हमारे हरियाणा के शूगर मिलों की अच्छी कार्यवाही के कारण यह रवैया अख्तियार किया है। क्या सैंट्रल गवर्नमैंट हरियाणा के मिलों को अच्छा काम करने की वजह से कोई इनसैंटिव भी देती है?

Mr. Speaker : This question has already been replied.

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी है, वह पहले से लगे कोआप्रेटिव शूगर मिलों से ज्यादा है या कम है? एक जो प्राइवेट मित्र है उसकी कैपेसिटी तो सबसे ज्यादा है लेकिन कोआप्रेटिव मिलों के मुकाबले में क्या पोजीशन है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा बनने के बाद का अगर हम लेखा जोखा तैयार करें तो पता चलता है, कि

पिछले 21 सालों में यहां पर पांच शूगर मिले लगी हैं जिनकी क्रशिंग कैपेसिटी तकरीबन साढ़े 63 सौ टन है। उसके मुकाबले में पिछले डेढ़ साल के अन्दर जो तीन शूगर मिल लगी हैं, उनकी क्रशिंग कैपेसिटी 7500 टन होगी, जो पांच मिलों से बहुत ज्यादा हैं।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि उन्होंने दो प्लांट्स का आर्डर कोआप्रेटिव सैक्टर में दिया है और एक का सरकारी सैक्टर में दिया है। इससे पहले जो सरकारी सैक्टर में मशीनरी का आर्डर दिया गया था, क्या उनमें से कोई मेरठ की भी फर्म थी? अगर हां तो क्या यह बात मन्त्री जी के नोटिस में है कि पहले तो उसे आर्डर दिया गया बाद में कैंसिल कर दिया?

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे माननीय साथी ने जो सवाल किया है इसमें प्रोसीजर के हिसाब में अलग–अलग फर्मों के अलग–अलग टैंडर इनवाइट किए गए। उन टैंडर्ज के बेसिज के०पर सहकारिता विभाग की परचेज, की स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी की उनके साथ नैगोसिएशन हुई। उसके हिसाब से जब बात०रपर ऐप्रूवल के लिए आई तो मामला हाई पावर्ड परचेज कमेटी को रैफर किया गया और उसमें उनको दोबारा नैगोसिएशन के लिए बुलाया गया। तो उसमें एक बात ध्यान में आई कि जो मेरठ की फर्म थी उसके साथ हमारा रोहतक की शूगर मिल का ऐकस्पैन्शन का केस चला हुआ है। 80 लाख रुपए का शौर्ट और

डिफैक्टिव सप्लाई का केस था जो आर्बिट्रेशन में है। उसमें कई बातें और मद्देनजर रखी गई क्योंकि आर० एन० सी० गवर्नमैंट अंडरटेकिंग थी और वैसे भी गवर्नमैंट अन्डरटेकिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आर० एन० सी० उस रेट पर आ गई जितना एन० एच० सी० ने पहले टैंडर दिया था। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए उसको आर्डर दिया गया।

चौधरी किशन सिंह सागवानः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो तीन नए शूगर मिल लगाए जा रहैं हैं, इन तीन की 'बजाए आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने सैंटर को चार मिल लगाने के लिए लाइसैंस के लिए लिखा था। चौथा गोहाना का भी था। इस बारे में मुख्य मन्त्री जी ने रोहतक में ऐलान भी किया था कि गोहाना में शूगर मिल लगेगा। दो बार सैटंर को केस भेजा लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार केन्द्रीय कृषि मंत्री चौधरी भजन लाल ने केस रिजैक्ट कर दिया। क्या ऐसा करके चौधरी भजन लाल ने गोहाना के साथ भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई है? मैं सहकारिता मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर चौधरी भजन लाल ने गोहाना के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई है तो क्या गोहाना में शूगर मिल लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को दोवारा केस भेजा जाएगा?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने के लिए माननीय सदस्य जिस शख्स का नाम ले रहैं हैं, उनसे तो ये खुद ही निपट लेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को

बताना चाहूंगा कि कहीं पर भी शूगर मिल लगाने के लिए सैटंर गवर्नमैंट से लाईसैसं के लिए जो लैटर औफ इन्टैंट आता है, उसकी अगर सारी कंडीशंज बताऊं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं एक दो कंडीशंज बता देता हूं। एक तो जहां पर शूगर मिल लगाई जाए उस एरिया में गन्ने का पोटैन्शियल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन यह होती है कि एक शूगर मिल की दूसरी शूगर मिल से 40 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए परन्तु गोहाना के चारों तरफ पानीपत, सोनीपत, मेहम, रोहतक और जींद की शूगर मिलें हैं। 40 किलोमीटर दूरी की जो कंडीशन है उसे चूंकि गोहाना की साइड पूरी नहीं करती, इसलिए वहां पर शूगर मिल नहीं लगाई जा सकती।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने एक सप्लीमैंटरी का जवाब देते हुए फरमाया कि मशीनरी लेने के लिए टैडंर्ज इन्वाइट किए गए और टैंडर इन्वाइट करने के बाद हाई पावर्ड परचेज कमेटी ने उसके साथ नेगोसिएशन शुरू कर दी। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि टैडंर इन्वाइट करने के बाद नेगौसिएशन क्यों हुई?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, हमारी जो स्टेट परचेज ऐडवाइजरी कमेटी थी, उसने यह नेगोसिएशन की थी। उसके बाद इन पार्टियों को हाई पावर्ड कमेटी ने बुलाया था।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, वैसे तो हमारी सरकार तारीफ के काबिल है और यह रिकार्ड की बात है कि हरियाणा प्रदेश में तीन शूगर मिलें लगाई जा रही हैं लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार ने केवल तीन शूगर मिलें लगाने के लिए ही सैट्रल गवर्नमैंट को प्रोपोजल भेजी थी या इससे अधिक मिलों के लिए भेजी थी? अगर ज्यादा शूगर मिलें लगाने के लिए प्रोपौजल भेजी थी तो इन तीन के अलावा दूसरी जगह के केस रिजैक्ट किस कारण से हुए?

डा० रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरी नौलेज के मुताबिक इन तीनों शूगर मिलों के अलावा गोहाना में शूगर मिल लगाने के लिए भी सैंटर गवर्नमैंट को केस भेजा गया था लेकिन वह रिजैक्ट हो गया क्योंकि शूगर मिल लगाने के लिए जो काइटेरिया है उसमें वह कवर नहीं होता। इसलिए हमें गोहाना में शूगर मिल के लिए सैंटर गवर्नमैंट से लाईसैंस नही मिला।

Up-Gradation of Sub-Tehsil

***782. Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of sub-tehsils which are proposed to be up-graded in the State during the next year ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): जिलों का पुनर्गठन करने के 'लिए सरकार को परामर्श देने हैंतु सरकार द्वारा एक

कमेटी गठित की गई है। ऐसे मामले अब उक्त कमेटी के विचाराधीन हैं और इसकी रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उदय भानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलों का पुनर्गठन करने के लिए सरकार को परामर्श देने हैंतु सरकार दारा पुनर्गठन कमेटी कब गठित की गई, उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई और जो बैठकें हुई उनमें अगर कोई फैसला लिया गया तो वह क्या है?

श्री सूरज भानः डिप्टी स्पीकर साहब, वह कमेटी 25–1– 1988 को गठित की गई थी और 25– 1–1989 –को उसकी टर्म खत्म हो गई लेकिन फिर दोबारा उस कमेटो की टर्म 31–3–89 तक ऐक्सटैड की गई है।

श्री उदय भानः उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई, जितनी बैठकें हुई क्या उनमे कोई कैला लिया गया, और अगर कोई फैसला लिया गया तो वह क्या है?

श्री सूरज भानः डिप्टी स्पीकर साहब उस कमेटी की बैठक तो बहुत हुई हैं लेकिन इस समय मुझे नम्बर आद नहीं है कि उसकी कितनी बैठकें हुई हैं? अह काफी लम्बा चौड़ा मामला है इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश बनने के बाद अब तक प्रदेश में सब डिविजन्ज और तहसीलें तीन चार गुणा बन चुकी हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नए जिले, नई तहसीलें और नए सब डिक्जिन्ज बचाने, बंद करने के बारे में कोई विचार करेगी क्योंकि प्रशासनिक खर्चे बहुत बढ चुके हैं जिसके कारण प्रदेश में डिवैल्पमैंट के काम नहीं हो रहैं हैं?

श्री सूरज भान: उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें विचाराधीन हैं। इस स्टेज पर बैनीनिटली कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री कैलाश चन्द वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो जिला पुनर्गठन समिति बनाई हुई है क्या वह, समिति महैंन्द्रगढ़ जिले के वर्तमान ढांचे में, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने पर विचार करेगी? क्या ब्लाकों के आकार और भौगोलिक स्थितियों में भी कोई परिवर्तन किया जायेगा?

श्री सुरज भान: उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें विचाराधीन नैं। किसी जिले के ब्लौक्स में या पुलिस स्टेशन में परिवर्तन करने की बात तो विचाराधीन है लेकिन इस वक्त डैफिनिट बात कहना मुश्किल है।

श्री उदय भानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सब तहसीलें अपग्रेडेशन के लिए विचाराधीन हैं क्या उनमें होडल भी शामिल है?

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह बतलाना बहुत मुश्किल है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः उपाध्यक्ष महोदय, जो जिले बनाने विचाराधीन हैं क्या उनमें कैथल भी शामिल है?

श्री सूरज भानः ये सारी बातें विचाराधीन हैं।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तहसील जिला या कोई ब्लौक बनाते समय इलाकों में जो अदला बदली होगी, उस अदला बदली को करने से पहले क्या उस इलाके की पंचायतों के सरपंचों से विचार–विमर्श किया जायेगा?

श्री सूरज भानः उन्हैं बुलाकर विचार विमर्श किया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह जिला पुनर्गठन समिति बनाई हुई है, क्या इसी प्रकार की कोई समिति बना कर या इसी समिति के माध्यम से यह देखा जाएगा कि इस समय हरियाणा में कहीं यू० पी० के बराबर आई० ए० एस० और आई० पी० एस०

अधिकारी तो नहीं हैं? यदि हैंघ्नतो क्या सरकार इस प्रशासनिक ढांचे को कम करने के लिए कोई कदम उठायेगी क्योंकि इस समय हरियाणा में टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि क्या इस खर्चे को कम करने के लिए कोई और समिति बनाई जायेगी या यही समिति कुछ फैसला ले लेगी?

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जिलों के पुलिस स्टेशन कहीं पर हैं, व्लौक्स कहीं पर हैं और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटस कहीं पर हैं। जो यह जिला पुनर्गठन समिति बनाई हुई है क्या यह अपना निर्णय देते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि सभी जिलों के ब्लौक्स, पुलिस स्टेशंज और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटस एक ही जगह पर हों?

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि इस समय एक एम० एल० ए० को काम के लिए 3–3 ब्लौक्स में जाना पड़ता है। अब यह कमेटी ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियैसं की सारी चीजों को ध्यान में रख कर ही फैसला करेगी।

सेठ लछमन दास बजाजः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कांस्टिचुऐंसी में 4 ब्लौक्स हैं। क्या हमें हर ब्लौक में लोगों के काम के लिए जाना पड़ेगा?

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का उत्तर जो मैंने पहले उत्तर दिया है, उसमें ही आ जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 717

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य कामरेड हरपाल सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Strike/Lockouts in Factories in District Sonipat

***756 Shri Devi Dass :** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the labourers of certain factories in District Sonipat were on strike and there was lock-out in the said factories during the period from 1st March, 1988 to 31st December, 1988 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of such factories where there was strike and lock-out separately together with the number of labourers thereof on strike; and

(c) whether it is also a fact that the owners of the factories as referred to in part (b) above have terminated the services of their labourers during the period as referred to in part (a) above ; if so, the names of such factories together with the names of such labourers, separately?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendcr Singh) :

(a) Yes

(b) The information regarding names, of such factories where there was strike and Lock-Out together with the number of labourers thereof on Strike is placed on the Table of the House.

(c) Yes, the following managements have terminated the services of workmen as mentined : -

(I) Toyo Springs, Sonipat.

(i) Satya Narain

(ii) Sita Ram

(iii) Shital Prasad

(iv) Shiv Lal

(II) Sunder Singh & Co. Ltd., Rai, Sonipat

(i) Kedar Nath

(III) Milton Cycle Industries, Sonipat.

(i) Ram Nath

(ii) Daljit Singh

(iii) Rameshwar Dass

(iv) Sardara

INFORMATION

	Name of Industry	No. of workers affected e

	LOCK-OUT	
1.	B.S.T. Ganaur, Sonipat (29.10.88 to 9.11 .88 stay-in-strike and 10 . 11 . 88 onwards lock-out).	850
	STRIKE	
1.	Milton Cycle Industries, Sonipat. (1 .2.88 to 16.5.88)	600
2.	Haryana vanaspati & General Mills Kundli, Sonipat. (17.2.88 to 4.5.88)	70
3.	Sunder Singh & Co, Rai, Sonipat. (31.5.88 to 16.6.88)	86
4.	Haryana Conductors, Kundli. Sonipat. (25.2.88 to 4.5.88)	22
5.	Guru Nanak Engg. & Foundry Works. Rai, Sonipat. (31.5.88 to 16.6 88)	62
6.	Toyo Springs Pvt .Ltd., Rai, Sonipat. (30.5.88 to 13.6.88)	40
7.	Coral Chemicals Ltd., Sonipat (13.6.88 to 12.7.88)	38
8.	Plastic Kot (Sunder Sons) Jatheri, Sonipat. (12.12.88 to 11.1.89)	50

9.	Merry Gold canes Ltd , Kundli. Sonipat. (18.12.88 Continuing)	25

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि बी०एस० टी० गन्नौर में 9. 11.1988 तक हड़ताल रही और उसके बाद लीक आउट भी हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस बारे में अब क्या स्थिति है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बी०एस० सी० गन्नौर में अभी भी लौक आउट है। जहां तक हडताल का ताल्लुक है, हड़ताल समाप्त हो गई है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर सर, हमारे काबिल संसदीय मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि बी०एस०टी० गन्नौर में लौक आउट है। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि यह लौक आउट जायज है या नाजायज है और इस बारे सरकार ने क्या फैसला किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, इस फैक्टरी के अन्दर बहुत दिनों से लौक आउट चल रहा है और इस के बारे में सारा मैंटर विचाराधीन है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर सर, माननीय संसदीय कार्यमन्त्री ने बड़ा इवेसिव सा जवाब दिया है कि मामला विचाराधीन है। मैं आपके द्वारा इनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या

सरकार ने पता किया है कि बी०एस०टी० गन्नौर में लौक–आउट कब से है? क्या लेबर डिपार्टमैंट ने इस बारे में फैसला किया है कि जो लौक आउट किया गया है, वह मालिकों ने ठीक किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर सर 29. 10. 1988 से 9. 11. 1988 तक स्ट्राईक रही और 10. 11.1988 से लौक आउट है और मामला अभी विचाराधीन है। डाक्टर साहब ने कहस कि मैंने बड़ा इवेसिव जवाब दिया है। Sir there is nothing evasive in it.

श्री देवी दासः डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने लिखे हुए जवाब में बताया है कि छ फैक्टरियों में हडताल हुई जिनमें से 8 फैक्टरियों में तो हड़ताल समाप्त हो चुकी है लेकिन नौवें नम्बर पर जो फैक्टरी है उसमें अभी तक हड़ताल चल रही हैं। जिन नौ फैक्टरियों में हड़ताल रही उनमें किसी फैक्टरी में 600 मजदूर हड़ताल पर रहैं, किसी फैक्टरी में 70, किसी में 86, किसी में 22 और किसी में 62 मजदूर हड़ताल पर रहैं और हड़ताल 2– 2 महीने चली। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सारे मजदूर वापिस फैक्टरियों में चले गये हैं या उन में से अभी भी कुछ हड़ताल पर हैं, या सस्पैंड हैं या मालिकों ने उन्हैं नौकरी से निकाल दिया है? इसके अलावा जो मजदूर हड़ताल से वापिस काम पर गये हैं क्या मालिकों ने उन्हैं सस्पैडं रखा हुआ है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा है कि 9वीं फैक्टरी, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहैं हैं उसका नाम मैरी गोल्ड केन्ज लिमिटिड, कुण्डली, सोनीपत है, जिसमें हड़ताल जारी है। इस फैक्टरी में अफैक्ट्रिड वकंर्ज का नम्बर 25 है। हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई भी ऐम्पलाई नहीं आया है, जिसने कहा हो कि उसे टर्मिनेट कर दिया है। जब तक लेबर डिपार्टमैंट कें पास कोई वर्कर नहीं आता तब तक कोई फिग्गर देना मुश्किल है। डाक्टर साहब ने लौक आउट के बारे में पूछा था और मैंने जबाब दिया था कि मामला विचाराधीन है। इसके लिए मैंनेजमैंट ने हाई कोर्ट से स्टे हासिल किया हुआ है।

श्री महा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन फैक्टरियों में हड़ताल या तालाबन्दी थी, क्या सरकार ने उनके कारण जान लिए हैं यदि कारण जान लिए हैं तो क्या ऐक्शन लिया गया हैं? **श्री वीरेन्द्र सिंहः** डिप्टी स्वीकर साहब, हड़ताल का मारा मामला कसिलिएशन से सैटल हो चुका हैं और हड़ताल समाप्त हो चुकी है। जहां तक लौक आउट का सम्बन्ध है, इस बारे में हाई कोर्ट का स्टे आर्डर चल रहा है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने पहले औफ हैण्ड ही कह दिया कि यह मामला विचाराधीन है लेकिन अब इन्होंने फरमा या है कि हाई कोर्ट से स्टे आर्डर मिला हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों

बातों में से कौन सी बात सही है और स्टे आर्डर बैकेट कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, वकील को कह रखा है कि जल्दी स्टे वैकेट कराये।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर रखी गई लिस्ट में फैक्टरीज में हुई स्ट्राइक आदि की पोजिशन बतायी हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को फरीदाबाद के बारे में बताना चाहता हूं कि फैक्टरी ओनर्ज अमतौर पर पुराने वर्कर्ज की छंटनी करनें के लिए कोई न कोई बहाना बना कर तालाबन्दी कर देते हैं। सैकड़ों वर्कर्ज को निकालने का नोटिस दे देते हैं वे नये वर्कर्ज लगाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या ऐसे हालात में सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी ताकि पुराने वर्कर्ज के हितों की रक्षा की जा सके और नये वर्कर्ज न रखे जाये' जब तालावन्दी या हड़ताल खत्म होती है तो पुराने वर्कर्ज ही रखे जायें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, लेबर अनरैस्ट वैसे तो होती ही रहती है परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मौजूदा गवर्नमैंट बनने के पश्चात् क्या हालात हैं और महैंन्द्र प्रताप सिंह जी की जब गवर्नमैंट थी तो उस टाईम पर क्या हालात थे। मैं सन् 1987 की फिर्ग्ज कोट करता हूं। सन् 1987 में 54 छाइक्स हुई और 12730 वर्कर्ज इनवाल्वड थे लेकिन 324802

मैन डेज का लौस था। वैसे सन् 1988 में भी 54 स्ट्राइक्स मौजूदा गवर्नमैंट आने के बाद हुई परन्तु मैन डेज का लौस केवल 160465 है जो कि कांग्रेस सरकार के टाईम पर हुए लौस का आधा है। (विघ्न)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा हूं कि पुराने वर्कर्ज को निकालने की बात पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। (शोर)

Mr. Deputy Speaker : Next question.

Pollution caused by Thermal Power Plant, Faridabad.

***861. Shri Kundan Lal Bhatia :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to check the pollution caused by the smoke of Thermal Power Plant at Faridabad; if so, the steps so far taken to check the pollution as referred to above ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Yes, the electrostatic precipitaters which control the smoke pollution are being replaced with new ones at a cost of over Rs. 7.00 crores by Haryana State Electricity Board.

श्री रणजीत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ये जो पोल्यूशन रोकने के लिए डिवाइसिज लगा रहैं हैं, ये पहले यहीं पर ऐक्स– पैरिमेटल बेसिज पर लगा

रहैं हैं या किसी और थर्मल प्लांट में भी लगे हुए हैं? दूसरे क्या ये लोकल ही मैनुफैक्चर्ड हैं या बाहर से इम्पोर्टिड हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, ये लोकल ही हैं। एच० एस० ई० बी० ने वोलटाज कम्पनी से इस्विपमैंट खरीदने के लिए आर्डर दिए हैं जिनकी कीमत सात करोड़ रुपये होगी। यह मशीनरी फेजिज में आयेगी।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः डिप्टी स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पानीपत थर्मल प्लांट में भी इस तरह का यत्न लगाने का कोई प्रावधान है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, पोल्यूशन कहीं भी न हो, इसके लिए एच० एस0 ई० बी० काम करेगा।

श्री रणजीत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब' मैं आप के द्वारा मन्त्री जी पूछना चाहता हूं कि देश के दूसरे थर्मल प्लांटस में भी क्या ये डिवाइस लगा हुआ है या हरियाणा में ही ऐक्सपैरिमैटल बेसिज पर लग रहा है? दूसरे इसमें बहुत ही ऐक्सपर्टाइज इनवौल्वड है जो सैट्रल गवर्नमैंट में है। क्या इसके लगाने से पहले सैंट्रल गवर्नमैंट से स्टेट गवर्नमैंट ने सलाह ली है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः देश के दूसरे थर्मल प्लांटस में भी यह डिवाइस लगा हुआ है।

Mr. Deputy Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Land with the Forest Department

847 Shri Durga Dutt Attri : Will the Minister for Forests be pleased to state—

(a) the total area of land on which Forest Department has its own control togetherwith the land of other departments which is under the control of Forest Department;

(b) the area of land out of the land owned by the Forest Department on which there is no forest ;

(c) the yearwise income accrued by the Forest Department during the years 1986-87, 1987-88 and up to January, 1989 ; and

(d) the amount spent on the establishment and afforestation separately durinL the years 1986-87 and 1987-88 ?

वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण मन्त्री (श्री परमानन्द): (क, ख, ग, तथा घ) सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

(क) 91668 हैक्टेयर भूमि पर बन विभाग का सीधा नियंत्रण है। 79189 हैक्टेयर वन क्षेत्र, सड्कों, नहरों, ड्रेनों और

रेलवे लाईनों इत्यादि के अन्दर आते हैं। परन्तु इनकी मलकीयत पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई व रेलवे विभाग के पास है जिन पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाता है।

(ख) शून्य।

(ग) वन विभाग द्वारा वर्ष 1986– 87, 1987– 88 तथा जनवरी, 1989 में हुई आय का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	आय
1986–87	6,54,86,179–00 रुपये
1987– 88	6,79,32,526–00 रुपये
जनवरी, 1989 तक	5,41,86,054–43 रुपये

(घ) वर्ष 1986–87 तथा 1987–88 में अमला तथा पौधारोपण पर खर्च की गई राशि की सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्ष	स्थापना (रुपयों में)	पौधारोपण (रुपयों में)
1986–87	4,88,54,793	14,80,18,137
1987–88	6,85,57,366	12,60,43,809

Upgradation of Power House at Jundla

***884. Shri Risal Singh :** Will the Minister for

Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Goverment to upgrade 33 K . V . Sub-station at Jundla to 132 K. V. Sub-station ; and

(b) if so, the time by which the said sub-station is likely to be upgraded ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) मार्च, 1990 तक।

Allotment of Houses/Plots to Harijans, Backward Classes etc.

***933. Shri Bhag Mal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot plots for house purposes to the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the State during the year 1 989-90 ; if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही दिसम्बर, 1981 से अनुसूचित जातियों व पिछढी जातियों को रिहायशी प्लाट मकान बनाने के उद्देश्य से देने की योजना कार्यान्वित है। 2 मरला श्रेणी में अनुसूचित जातियों का आरक्षण 20 प्रतिशत और 4 एवं 6 मरला श्रेणी में अनुसूचित जातियों का आरक्षण 152 है पिछड़ी जातियों

के लिए 2 मरला में आरक्षण 5 प्रतिशत और 4 एवं 6 मरले में आरक्षण 3 प्रतशित है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब, जनसत्ता समाचार पत में राम सिंह बराड़ नाम के पत्रकार का लेख है, मेरी उस बारे में एक मोशन थी। (व्यवधान व शोर)

Mr. Deputy Speaker : That has been disallowed. You please take your seat.

श्री रघु यादवः इसका मतलब है कि जनसत्ता में ठीक लिखा है। (व्यवधान व शोर)

Mr. Deputy Speaker : You please sit down. It is my order. You cannot speak on my ruling. (Interruptions) Please take your seat.

श्री कैलाश चन्द्र शर्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा भी एक प्रिविलेज मोशन था उसका क्या बना?

श्री उपाध्यक्षः आपका प्रिविलेज मोशन गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, कल मैंने मर्यादा हनन का एक मोशन मुख्य मंत्री जी के खिलाफ दिया था उसका आपने क्या फैसला किया है?

Mr. Deputy Speaker : That has been disallowed.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जो इस हाउस में 9 तारीख को गलत व्यानी हुई है, उसके बारे में मैंने बाकायदा सबूत दिये हैं 1 (व्यवधान व शोर)

Mr Deputy Speaker : It is my ruling. You cannot say anything on the ruling of the Chain. You have no right to say anything now.

वाक–आउट

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान व शोर) जहाँ तक आपकी रूलिंग की बात है, वह तो मान्य है और उसके आगे हम सिर झुकाते हैं लेकिन चूंकि यहां हाउस में गलत व्यानी हुई है, इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि आप प्रिविलेज मोशन के बारे में अपनी रूलिंग को दोबारा कंसिडर करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिये। मैं पहले ही कह चुका हूं कि चेयर की रूलिंग के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। (व्यवधान व शोर)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप रूल्व की किताब पढ़ कर आया करें। Nothing to be recorded. You may come to my Chamber. (Interruptions and Noise)

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): महैंन्द्र प्रताप जी, आप बैठ तो जायें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः जब आप मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हैं तो मैं वाक–आउट करता हूं।

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): जवाब भी सुनकर जाना।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अब वे भाग रहैं हैं।

(इस समय चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह श्री मोहम्मद असलम खां सहित सदन से वाक–आउट कर गये।)

स्पष्टीकरण–

मुख्य मन्त्री / उप–मुख्य मंत्री द्वारा

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, म् यह कहना चाह रहा था कि कोई एक लिस्ट मैंने हाउस में प्लेस की थी जिसकी बाबत चौधरी महैंन्द्र प्रताप ने नोटिस दिया है कि वह गलत लिस्ट है। आपने उनके मोशन को डिस–अलाऊ कर दिया। उस वक्त मैं थोड़ा सा उसका जवाब देना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अब मैं आपकी इजाजत से अपने साथी को यह कहना चाह रहा हूं कि वे किस किस का बचाव

करेगे? लिस्ट में तो बहुत से लोगों के नाम हैं जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है। इसके अलावा उनके नेताओं ने कौड़ियों के भाव बड़ी कीमती जमीन खरीदी हुई है। ये सारी जमीनें मौजा सागर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में वाकया हैं। इनके नाम हैं सुरेन्द्र सिंह दण्ड बंसी लाल, भिवानी, इन्तकाल नं० 243,4 कनाल 19 मरले, रणबीर सिंह महैंन्द्र पिसरान बंसी लाल, वल्द मोहर सिंह, इन्तकाल नं० 241, 5 कनाल 1 मरला। श्रीमती विद्यावती सुपत्नी बंसी लाल, भिवानी, इंतकाल नं० 245, 6 कनाल 5 मरले। उग्रसैन वल्द सुरजा राम, हिसार, इंतकाल नं० 1895, 40 कनाल 10 मरले। अग्रसैन वल्द सुरजा राम, हिसार, इंतकाल नं०1909, 40 कनाल 3 मरले। ये भजन लाल के पोलिटिकल सैक्रेटरी होते थे। इसी तरह से और बहुत सी बेनामी जमीनें भी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अभी–अभी आखों का इलाज कराके आया हूं मैं पढकर सुना नहीं सकता। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से यह अर्ज करूंगा कि वे यह पढ़कर सुना दें ताकि पता चल सके कि किस तरह सें करोड़ों रुपये का बेनामी कर्जा कुछ लोगों ने ले रखा है। अब जब हम उसको वसूल करने लगे हैं तौ यह तिलमिला करके हाउस से वाक–आउट करके चले गये हैं।

श्री मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के आदेश से मैं उनके द्वारा दी गई सूची पढ़ देता हूं। सबसे पहले मैं शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस

के अभी अध्यक्ष बने हैं, के रिश्तेदारों के नाम पढ़ देता हूं। इनके नाम निम्नलिखित कर्जे ऐडवान्स हुए हैं:—

Directors related to Shri Shamsher S ngh Surjewala, Ex-Minister

Name of the Unit		M/s Haryana Behive Hard Coke (P) Ltd., Vill. Mirgarh, Teh. Narwana, Distt. Jind.
Loan sanctioned		Rs. 12,25,000/-
Loan disbursed		Rs. 11,81,500/-
Present outstanding		Rs. 9,86,475.23
Default		NIL
Name of the Partners		Shri Mange Ram
		Shri Dilbagh Singh
		Shri Yashpal Singh
		Shri Tejinder Kumar
		Shri Shamsher Singh

इसके बाद मैं कुछ और इन्फर्मेशन सदन को देता हूं जो इस प्रकार है:—

The unit owned by the son of Shri Vir Singh, Ex-Minister M/s Bhiwani Strips, Bhiwani

Loan sanctioned		Rs . 4.44 lacs
Loan disbursed		Rs. 2.64 lacs on 22.11.82
Currency period		1st September, 1990
Loan outstanding		Rs. 6,57,353.37 with further interest @ 18 % w.e.f. 1st March. 1988.
Action taken .		Recovery certificate has been issuedCourt has granted stay against arrest.
Particulars of the Partners	1.	Shri Brahmjit Singh s/o Shri Vir Singh
	2.	Shri Sanatam KumarBiyani s/o Shri Phool Singh Biyani
	3.	Shri Sudesh Kumar Todi s/o Shri Baljit Pa rshad
	4.	Shri Balbir Singh s/o Shri Gulab

		Singh

Unit owned by Sh. J. S. Locheb Brother-in-law of Shri Varinder Singh, M.P.

Name of the Unit		M/s Locheb Enterprises Pvt. Ltd.
Loan sanctioned		Rs. 49 lacs
		Indl. loan Rs. 48 lacs
		G. set loan Rs. 1 lacs
Loan disbursed		Industrial loan Rs. 26,61,284.00
		G. Set Rs. 26,000.00
Present Outstanding		Indl. lean : Rs. 48,62,137.94
		G. Set Rs. 22,450.06
Default		Indl. loan : Rs. 34,63,331.65
		G. Set loan Rs. .17,235.06
Action taken		Unit has been attached and is being put to auction.

Directors related to Shri Sri Kishan Dass, Ex—Minister

Name of the Unit		M/s Haryana Ferro Alloys Ltd Gohana Road, Rohtak.
Loan sanctioned		Rs. 15.65 lacs on 25.10.84
Loan disbursed		Rs. 13.24 lacs
Currency period		1st March, 1992
Present outstanding		Rs. 6,86,495/-
Default		NIL
Name of the Directors		Sh. Manmohan Goyal s/o Shri Sri Kishan Dass.
		Sh. Sri Kishan Dass.
		Mrs. Nirmala Goyal w/o Sh. Sri Kishan Dass.

Partners related to Shri Jagdish Nehra

Name of the Unit		M/s Sandeep Udyog
Loan sanctioned		Rs. 1.80 lacs
Loan disbursed		Rs. 1.18 lacs
Default		NIL
Name of the Partners :	1.	Sh. Surinder Nehra s/o Sh. Jagdish Nehra.
	2.	Wife of Sh. Jagdish Nehra.

The unit owned by Shri Shyam Bihari, General Secretary, Youth Congress, Bihar

Name of the Unit		M/s Guru Ji Production of India, Hisar.
Lo an sanctioned		Rs. 8.38 lacs
Loan disbursed		Rs. 5 . 34 lacs
Present outstanding		Rs. 23 lacs

Name of Partners	1 .	Shri Shyam Bihari s/o Shri Radha Krishan (Sole Prop)
	2.	Shri Radha Krishan Jhunjhunwala s/o Shri Hanuman Dass Jhunjhun-wala (Guarantor)
Line of activity		Handloom Silk Unit.

The unit owned by Shri Vijay Pal Singh, Ex-Deputy Speaker

Name of the Unit		M/s Vijay Grit Udyog, Gurgaon
Loan sanctioned	(i)	Rs. 3.05 lacs
	(ii)	Rs. 6.13 lacs
Loan disbursed	(i)	Rs 3.45 lacs
	(ii)	Rs. 3.14 lacs
Currency period	(i)	1.9.1989
	(ii)	1.2.1991
Present outstanding	(i)	Rs. 4.03 lacs
	(ii)	Rs. 4.15 lacs
Action taken		Recovery certificate was issued.

Name of Guarantors	1.	Sh. Vijay Pal Singh
(Partners)	2.	Sh. Garinder Singh
Co-Mortgagurs	1.	Sh. Karan Singh
	2.	Sh. Mam Raj Singh
Line of activity		Stone Crusher

The unit owned by Sint. Nalini Tripathi Daughter-in-law of Shri Kamlapati Tripathi, Ex-President, Congress (I)

Name of the Unit		M/s Gangaur Laminators (P)Ltd.. Panipat.
Loan sanctioned		Rs. 7.00 lacs (Term loan)
		Rs. 2.00 lacs (Soft loan)
Loan disbursed		—do—
Present outstanding Present		Rs. 20.00 lacs (Term loan)
		Rs. 2.00 lacs (Soft loan)
Action taken		Recovery certificate issued. The party has gone to High Court. Property put to auction on 1.2.88 but no bidder came forward. Next date of auction is yet to be fixed.

Name of Partners :		Shri B. R. Sewami
		Shri Naveen Chander Sharma
Line of activity:		Manufacture of laminated jute bags.

चौधरी देवी लालः डिप्टी स्पीकर साहब, यह लिस्ट बहुत लम्बी चौड़ी है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं वे बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा हम महैंन्द्र प्रताप सिंह और बुल्ले शाह के खिलाफ भी फैक्ट्स तलाश कर रहैं हैं। उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी बहुत सी चीजें निकलेगी।

श्री मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि सदन के नेता ने जो बातें बताई हैं उनसे पता लगता है कि उन लोगों ने कितनी गल्त बातें की है। जो लोग हरियाणा में रहते नहीं और हरियाणा के डोमिसाइल नहीं हैं, उन्होंने गल्त ऐफिडेविट दिए और कर्जा लिया। ऐसे मिसलीड करने वालों और गल्त ऐफिडैविट देने वालों तथा चीट करने वालों के खिलाफ क्या कोई ऐक्शन लेगे?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी जीकर सर, ऐक्शन अवश्य लिया जाएगा और जहां तक रिकवरी का सवाल है, ड्यू रिकवरी की जाएगी। जो लीगल ऐक्शन बनता है, वह भी जरूर लगे।

श्री रघु यादवः अभी तक कोई ऐक्शन लिया है क्या?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अब शुरू कर रहैं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार अपने गुप्तचर विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रही है जिसके बारे में अखबारों में भी छपा था। (शोर)

Mr. Deputy Speaker: That has already been disallowed.

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

श्री रघु यादव, एम० एल० ए० के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of question of breach of privilege from Shri Surinder Kumar Madan, M.L.A., against Shri Raghu Yadav, M.L.A., for casting reflection on the impartiality of the Speaker in hrs press statement published in the Daily 'National Herald' dated 12-3-1989. I give my consent to the raising of this question of Privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order. Now I ask. Shri Surinder Kumar Madan, M.L.A., to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

Shri Surinder Kumar Madan : Sir, 1 beg to seek the leave of the House to raise the question of breach .of prvilege against Shri Raghu Yadav, M.L.A., for casting reflection on the impartiality of the Hon'ble Speaker in his

press statement published in the Daily 'National Herald' dated 12-3-1989.

Mr. Deputy Speaker : Has the Hor'ble Member the leave of the House **to** raise the question of breach of privilege ?

Voices : Yes .

Mr. Deputy Speaker : The leave is granted . Shri Surinder Kumar Madan may please move the motion.

Shri Surinder Kumar Madan : Sir, I beg to move—

That the matter regarding the casting of reflection on the impartiality of the Speaker by Shri Raghu Yadav, M.L.A., in his press statement published in the daily 'National Herald' dated 12-3-1989, be referred to the Commitee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये, मुझे मोशन मूव कर लेने दीजिए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the matter regarding the casting of reflection on the impartiality of the Speaker by Shri Raghu Yadav, M. L. A. in his press statement published in the daily 'National Herald' dated 12-3-1989 be referred to the Committee of

Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे ही दिन इस बारे में कट्राडिक्शन दे दी थी। इसलिये मैं कहना चाहता हुं (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षःआप बैठिये (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the matter regarding the casting of reflect on on the impartiality of the Speaker by Shri Raghu Yadav, MI,. A. , in his press statement published in the daily 'National Herald' dated 12-3-1989, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

वाक आउट

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 83 के तहत मैं इस बारे में पर्सनल ऐक्सप्लेनैशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आपने जो कुछ कहना है वह कमेटी के सामने ही कहना क्योंकि अब यह मामला प्रिविलेज कमेटी को रैफर हो चुका है।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हाउस में भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका मिलना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : You please take your seat otherwise I will have to take drastic action against you.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्षः कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे हाउस में अपना स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलना है तो मैं वाक आउट करता हूं। (इस समय श्री रघु यादव बोलते हुए सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री हरनाम सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था कि हरियाणा में कोल्ड स्टोर्ज ने 9 रुपए बोरी के हिसाब से अपने रेटस बढ़ा दिए हैं। अब पंजाब में 22 रुपए रेट है और हमारे यहां 26 रुपए रेट है। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः वैसे जीरो आवर खत्म हो चुका है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका मोशन गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री उपाध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, टेबल आफ दि हाउस पर पेपर ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the 21st Report and Accounts of Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1987-88, as required under section 619(A) (3) of the Companies Act, 1956.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(1) कमेटी मौन सबौडिंनेट लैजिसलेशन की बीसवीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्षः अब कमेटी औन सबौर्डिनेट लैजिसलेशन के एक मैंबर श्री बृज मोहन कमेटी की वर्ष 1988–89 के लिए बीसवीं रिपोर्ट प्रैजेटं करेंगे।

Member, Committee on Subordinate Legislation (Dr. Brij Mohan) : Sir, I present the Twentieth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1988-89.

(2) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की बीसवीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्षः अब कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरेंसिज के चेयरमैन, श्री मोहम्मद असलम खां, कमेटी की वर्ष 198 8– 89 के लिए बीसवीं रिपोर्ट प्रैजेंट करेंगे।

Chairman, Committee on Government Assurances (Shri Mohammad Aslam Khan) : Sir, I present the Twentieth Report of the Commute on Government Assurances for the year 1988-89.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्षः अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the terms of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Question is--

That the proceedings on the items of business fixed for today 'be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly, indefinitely.

The motion was. carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्षः अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक उठने पर साइने डाई ऐडजर्न होगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैंने इस विषय में तो कुछ नही कहना है, मैंने तो एक दरख्वास्त करनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटिड की 1987–88 की रिपोर्ट यहां पेश की गई है। मैं चाहता हूं कि ऐसी रिपोर्टस सैशन शुरु होते ही आ जानी चाहिए ताकि अगर हम उन्हैं डिस्कस करना चाहैं तो उनकी स्टडी करके डिस्कशन का नोटिस दे ' दें। अब हम इसे कब स्टडी करेंगे और कब डिस्कशन के लिए नोटिस देंगे क्योंकि आज सैशन का आखिरी दिन है। आगे के लिए आप कृपया ऐसी हिदायत दे दें।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है आप कृपया बैठें।

प्रश्न है—

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई ऐडजर्न होगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिल्ज—

(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1989

श्री उपाध्यक्षः अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल, 1989 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1989 सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हू।

साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव कहता हूं—

कि हरियाणा विनियोग (सं० 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

आनरेबल मैम्बर्ज, केवल वही सदस्य बोलने के लिए खड़े हों जिन्होंने जनरल डिस्कशन औन बजट और डिमान्डज फार ग्रान्टस पुर हुई डिस्कशन में भाग नहीं लिया था ताकि दूसरे सदस्यों को भी बोलने और अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (सं० 2) बिल,। 989 हमारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने सदन में पेश किया है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

Mr. Deputy Speaker : But please try to be relevant.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: ठीक है जी। मैं लेबर एंड ऐम्पलायमैंट विभाग से संबंधित डिमांड के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। अन–ऐम्पलायमैंट की प्रौब्लम बहुत भयानक है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टोटल बजट का 1.7 परसैटं पैसा इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट में खर्च करने का प्रावधान किया है। यह पैसा बहुत ही कम है। आज खेती के लिए जमीन बढ़ नहीं सकती और नौकरी के लिए बजट हर तरह से ओवर लोडिड है तो केवल एक ही रास्ता रह जाता है कि हरियाणा के अन्दर इडस्ट्रीयलाइजेशन हो। इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट के लिए बजट में जो टोटल बजट का 1.7 परसैटं पैसा खर्च करने का प्रावधान है इससे साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्रीज में ऐम्पलायमैंट जनरेशन का स्कोप बहुत ही कम है। उपाध्यक्ष महोदय, आज 12 चपड़ासियों की नौकरी के लिए ऐजुकेशन बोर्ड में साढ़े चार हजार कैडीडेटस

इन्ट्रव्यू पर– गए हैं। इसी तरह से पांच सौ कंडक्टर्ज की नौकरी के लिए जो ऐडवर्टाइजमैंट हुई थी उसके लिए लगभग डेढ़ पौने दो लाख ऐप्लीकेशंज एस० एस० एस० बोर्ड के पास पहुंची थीं। यदि अन–ऐम्पलायमैंट की इतनी भयानक स्थिति है तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही रास्ता रह जाता है कि इंडस्ट्रीयलाइजेशन हो। जो करोड़पति और लखपति बड़े–बडे इंडस्ट्रीयलिसटस हैं उनके साथ डायरैक्टोरेट जिस तरह से डील करता है उसी तरह से कौटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों से नहीं कर्ता है। छोटे–छोटे ऐन्टरप्रन्योर्ज, नए नएनौजवान जो बड़े हौसले के साथ अपनी छोटी छोटी दस्तकारी लगाना चाहते हैं डायरैक्टोरेट उनसे ठीक ढंग से डील नहीं करता। डायरैक्टोरेट को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट की तरह डील नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार के आने के बाद इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट में सिंगल विंडो सर्विस उपलब्ध है लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि कौटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अलग डायरैक्टोरेट हो जिसमें प्रोफैशनल ऐक्सपर्ड हों जो कौटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को वैसी ही सर्विस मुहैया कर सकें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रदेश में इंडस्टइरायलाइजेशन हो और कौटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज तथा बिग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग डायरैक्टोरेट हों। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के

समय में नौकरियों के लिए सिफारिशों की प्रथा चलती रही। उस समय लोकतंत्र की जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाया जाता रहा। मैं इस विषय में यह कहूंगा कि चाहैं एस० एस० एस० बोर्ड है, चाहैं डायरैक्टोरेटस हैं और चाहैं पब्लिक सर्विस कमिशन है सभी जगहों पर रिजर्वेशन पालिसी है। मैं इस लोकप्रिय सरकार को एक छोटा सा उदाहरण दू गा कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रूरल एरियाज के लड़कों के लिए 50 परसैट रिजर्वेशन दाखिले में की हुई है उसी तरह से सरकार को रूरल एरियाज के लड़कों को नौकरी के लिए 50 परसेंट रिजर्वेशन करनी चाहिए ताकि रूरल एरियाज के नौजवानों को नौकरी मिल सके। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और एक्स–सर्विसमैन के लिए नौकरियों में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ है वह तो रहना ही चाहिए लेकिन जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रूरल एरियाज के लड़कों के लिए दाखिले में 50 परसैटं रिजर्वेशन की हुई है उसी तरह से रूरल एरियाज के लड़कों के लिए नौकरी में भी 50 परसैटं रिजर्वेशन होनी चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली औन मैरिट सर्विस दी जानी चाहिए। सरकार इस तरह की पालिसी बनाए ताकि उसमें सिफारिश की कोई गुंजाइश न रहैं। जब तक नौकरियों में सिफारिशें चलती रहैंगी तब तक लोगों में नाराजगी बराबर बनी रहैंगी। सिफारिश से एक आदमी को तो नौकरी मिल जाती है लेकिन उस एक आदमी के नौकरी मिलने पर हजारों व्यक्ति नाराज हो जाते हैं, पढ़े लिखे और होशियार लड़कों का खून जल कर रह जाता है। इसका एक

ही रास्ता है कि एक नई सर्विस पालिसी बनाई जाये और उस पर सख्ती से अमल किया जाये। उस नीति के तहत मैरिट के आधार पर ही लोगों को ऐम्पलायमैंट दी जाये। उस नई नीति की देख रेख के लिए और हमारे एस० एस० एस० बोर्ड तथा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा भर्ती जो की जाती है उसकी देख–रेख के लिए जजिज की एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी जाये जो समय समय पर रिव्यू करे कि आया इस नई सर्विस नीति पर अमल हो रहा है या नहीं। जब तक स्ट्रिक्टली अमल नहीं होगा, जब तक मैरिट पर अमल नही होगा, तब तक सही लोकतंत्र नही आयेगा। लोकतंत्न को पटरी पर लाने के लिए, उसकी बुनियादी बात समान अवसर देने की है, उस के लिए एक नई सर्विस रिजर्वेशन पालिसी बनाई जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

11–00 बजे

डा० बृज मोहन (जगाधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन न० 2 बिल 1989 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल की डिमांड नं० 2 पर कुछ बात कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा ऐग्जिसटैसं में आया तो उस समय तीन स्टेटस, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सर्विस रूल्ज लागू किए हुए थे, जो उस वक्त पंजाब के कर्मचारियों पर लागू थे वे हरियाणा के कर्मचारियों पर लागू किए गए थे। उस समय यह बात भी –आई

थी कि इनमें से किसी भी स्टेट के कर्मचारियों को जो गवर्नमैंट फैसिलिटीज दी हुई हैं वे विदड्रा नहीं हो सकतीं। लेकिन बदकिस्मती से हरियाणा के अन्दर वे फैसिलिटीज जो उस वक्त गवर्नमैंट सर्वेट्स को दी गई थी, उनमें बहुत कमी की गई है। इस विषय पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिमों की जो सालाना कानफिडैशिथल रिपोर्टस लिखी जाती हैं, वे डिपार्टमैटली नही हैं, वे एक ही व्यक्ति के हाथों में यानी ऐग्जिऐक्टिव के हाथों में दे दी गई है। इस समय पुलिस डिपार्टमैंट के अधिकारियों की सी० आर० छोड़ कर बाकी सभी जिला अधिकारियों की सी० आर० लिखने की पावर डी० सी० को दी हुई है और सब डिवीजनल लैवल पर एस० डी० एम० को दी हुई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहैं कोई डाक्टर हैं, चाहैं इन्जीनियर हैं, चाहैं टीचर हैं या किसी और पद पर हैं, उनकी सी० आर० ऐरिजैक्टिव अथौरिटी द्वारा लिखी जाती है। सरकारी कर्मचारियों में यह रोष है कि उनकी सी० आर० ऐग्जैक्टिव अथौरिटी द्वारा नहीं लिखी जानी चाहिए बल्कि डिपार्टमैंटली ही लिखी जानी चाहिए। जिस समय. कर्मचारियों की सी० आर० लिखने की डिपार्टमैंटल पावर वापस ली गई थी उस समय मैंने सरकारी कर्मचारियों से पूछा था कि यदि ऐसी बात है तो आप लोग कोर्ट में क्यों नही गए? वे कहने लगे कि चौधरी बंसी लाल जी का राज है और०पर से ऐमरजेंसी सिर पर है। जिसके कारण हम कोर्ट में नहीं जा सके, क्योंकि उस समय बंसी लाल से सरकारी मुलाजिम बहुत डरते थे। इसलिए मेरी सरकार से

गुजारिश है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव किया हुआ है, वह दूर होना चाहिए। इसके साथ–साथ मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की जो ऐनुअल सी० आर० लिखी जाती णै, अगर वह ऐवरेज लिखी जाती है तो उसको हरियाणा में ऐडवर्स समझा जाता है। एक तो ऐवरेज रिपोर्ट लिख दी जाती है,०पर से वह संबंधित कर्मचारी को कन्वे नही होती जिस कारण उसे पता नहीं लग पाता कि उसकी सी० आर० उसके हक में है या नहीं है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि ऐवरेज रिपोर्ट कन्वे भले ही न की जाये लेकिन ऐवरेज रिपोर्ट को ऐडवर्स न समझा जाये। इसलिए मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि ऐवरेज रिपोर्ट को ठीक माना जाये, इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं. आयेगी। इसके साथ ही साथ सी० आर० के सम्बन्ध में मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी कर्मचारी की 10 रिपोर्टस में से 6 खराब हैं और वह कर्मचारी 50 साल की उम्र क्रौस कर जाता है तो उसे कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों की सी० आर० डिपार्टमैटली लिखी जाए और एवरेज रिपोर्ट को ठीक माना जाये ताकि यहां के कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह न हो। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्टस डिपार्टमैंटली लिखी जाती हैं और उनकी ऐवरेज रिपोर्ट को ठीक माना जाता है। इसलिए सरकार को इस बात पर सोच समझ कर कोई फैसला कर लेना चाहिए। इसके साथ–साथ अध्यक्ष महोदय, सदन में करनाल रिफाईनरी, जगाधरी के थर्मल प्लांट और

एस० वाई० एल० नहर के बारे में भी जिकर आया। लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसा ही एक और प्रोजैक्ट है। सरदार बूटा सिंह ने कुरुक्षेत्र में महर्षि बाल्मीकि मैडीकल कालेज खोलने का ऐलान किया था और वहां पर कुछ जमीन ऐक्वायर करने का प्रोसैस भी चला था लेकिन वह प्रोजैक्ट भी स्टे हो गया। इससे साफ जाहिर है कि सैन्टर ने हरियाणा के साथ भेदभाव किया है। प्रोजैक्टस हमारी स्टेट को दिये लेकिन उन्हैं पूरा नही किया गया। सैंटर को लाईन पर लाने के लिए, 19 तारीख के बाद जो विरोध प्रकट करने का विचार है, उसके बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन के नेता के नाते, हकूमत के नेता के नाते आप आगे आयें और सैंटर के खिलाफ अभियान चलाएं, हम हर समय आपके साथ हैं और आपके पीछे चलेगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं और साथ ही मैं अपने कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आर्य जी, जल्दी ही अपनी बात कह लेना।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जब आप कहैंगे, मैं वाइन्ड–अप कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को अपने प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए कुछ प्रभावी

पग उठाने चाहिए क्योंकि हमारी स्टेट के आय के स्त्रोत लिमिटिड हैं। प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए मेरे सुझाव इस प्रकार हैं। जिस प्रकार कार्पोरेशज और बोर्डज के चेयरमैनों की सफर की लिमिट 5,000 किलोमीटर तक फिक्स की हुई है और उसमें कोई गलती नही है, वह बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार कार्पोरेशज और बोर्डज के जो एम० डीज० वगैरह हैं उनकी भी सफर करने की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से टैलीफोन के बिलों की बात है। हमारे जो मन्त्री–गण हैं उनके औफिस के टैलीफोन के बिल पर तो छूट होनी चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके घर में जो टैलीफोन लगे हुए हैं, उनकी भी रीजनेबल लिमिट मुकरर्र कर दी जाए। ऐसे ही कमिश्नर्ज और सैक्रेटरीज के रेजिडेन्सिज पर जो टैलीफोन लगे हुए हैं, उनकी भी सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वी० आई० पीज० के बच्चे या चहैंते कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली या दूसरी जगहों पर प्राईवेट टैलीफोन करते रहते हैं, जिससे टैलफोन के बिल बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि कई बार वे आधा–आधा घण्टा बात करते रहते हैं। सीमा निर्धारित कर देने से खर्च काफी कम हो सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इस सम्बन्ध में मैं एक और सुझाव भी देना चाहूंगा कि कमिश्नर्ज, सैक्रेटरीज या उनके०पर के अधिकारियों और मन्त्रियों के लैवल तक जो टैलीफोन हैं, उनके लिए एक मशीन आती है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, उससे यह पता लग जाता है कि किस नम्बर पर और कहां टैलीफोन किया गया है। उस मशीन की कीमत दस या

पन्द्रह हजार रुपये बताई जाती है। मैं चाहूंगा कि कमिश्नर्ज, सैक्रेटरीज और मन्त्री लैवल के रैजिडैन्सिज पर जो टैलीफोन हैं, उन पर वह मशीन लगा दी जाए जिससे उन्हैं डर रहैंगा और वे निश्चित रूप से गलत टैलीफोन नहीं करेगे। इससे टैलीफोन के खर्चे में काफी कमी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश यू० पी० के छठे या सातवें भाग के बराबर है। हरियाणा में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या लगभग यू० पी० के बराबर हैं। अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखा जाए तो प्रशासन में जो 50 प्रतिशत प्रशासन का खर्चा टॉप हाई ऐडमिनिस्ट्रेशन पर किया जा रहा हैं उसे कम किया जा सकता है। बीच में जो कई अफसर बिठा रखे हैं, वास्तव में उनका कोई कन्स्ट्रक्टिव वर्क नहीं होता बल्कि वे केवल काम में रुकावटें खड़ी करने के लिए ही अपनी सीटों पर बैठे हैं क्योंकि वे सिवाय धुग्गी मारने के कोई काम नहीं करने। एक असिस्टैंट जो लिख देता है वही०पर तक जाता है। केवल बाधा खड़ी करने के लिए और काम को डिले करने के लिए ही ये पोस्टें बनी हुई है। जहां तक हो सके इे प्रकार की पोस्टें कम की जाएं। एक महकमे का टैक्नीकल ऐक्सपर्ट जो योजना बना कर भेजता है वह सीधे सैक्रेटरी या कमिश्नर तक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक चीफ इन्जीनियर योजना बना कर भेजता है ब्रोकन सचिवालय का एक असिस्टैट उस पर क्यूरी लगा कर वापिस भज देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव दूंगा कि चीफ इन्जीनियर द्वारा बनाई गई कोई योजना सीधे सैक्रेटरी या कमिश्नर के पास

पहुंचनी चाहिए और कमिश्नर और सैक्रेटरीज भी टैक्नीकल दर्जे के लोगों को बनाया जाए ताकि मामला टैक्नीकली ऐग्जामिन हो कर सीधे चीफ सैक्रेटरी के पास पहुंचे। मैं समझता हूं कि जो हमारे ऐक्सपर्टस हैं जैसे डॉक्टर्ज हैं या इंजीनियर्ज हैं उनकी इन्टैलीजैस आई० ए० एस० या आई० पी० एस० अफसरों से कम नहीं होती बल्कि कुछ ज्यादा ही होती है। मैडीकल और इन्जीनियरिंग के बारे में उन्हैं ज्यादा ज्ञान होता है। इसलिए ऐसी सर्विसज पर, इन टैक्नीकल कैटेगरीज पर यदि गौर कर लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि बार–बार यह जिक्र आता है कि जो कांग्रेस के लोग खाकपति थे वे आज के दिन कई लाखों के मालिक बन गये हैं। बनारसी दास गुप्ता जी को यह पता है क्योंकि वे कांग्रेस के नेता और उनके पुराने साथी रहैं हैं। वही कांग्रेस के नेता आज मांग कर रहैं हैं कि लोक आयुक्त नियुक्त किया जाये। गुप्ता जी चश्मदीद गवाह हैं कि जिस व्यक्ति के पास सन् 1959–60 में तीस रुपये माहवार का किराये का मकान था आज उसके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। ज्वायंट डायरेक्टर सी० बी० आई० की रिपोर्ट पर इंडियन ऐक्सप्रैस के श्री अरुण शोरी ने लिखा था कि कुछ लोगों ने सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करके 112 करोड़ 85 लाख रुपये की सम्पत्ति इकट्ठी की है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास तीस रुपये माहवार का मकान हो और उसके किराये के बारे में भी अदालत ने डिक्री की हो, आज वह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का मालिक हो गया है। उस टाईम पर गुप्ता जी ने

बीच में आ कर उनका फैसला कराया था कि इन्हैं मोहलत दे दें। आज मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आयी और वह सम्पत्ति किस प्रकार आयी? क्या यह सम्पत्ति ज्यादा नहीं है? कम से कम एक लाख रुपये माहवार का मकानों का किराया उसे आ रहा है, यह मेरी जानकारी में है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इन्कवायरी होनी चाहिए। उसकी यह हिम्मत हो जाना कि लोकायुक्त अप्बायंट किया जाना चाहिए, यह हमारी सरकार को चौलेन्ज है और इसे स्वीकार करना चाहिए। अगले सैशन में लोकायुक्त नियुक्त होना चाहिए। चाहैं कोई मंत्री रहा हो, चाहैं विधायक रहा हो, उन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में इन्कवायरी होनी चाहिए। इन लोगों के बारे में हम प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को मैमोरैन्डम देते रहैं हैं। इसलिए लोकायुक्त नियुक्त करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः अब आप वाइंड–अप करें।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कर्मचारियों की मांगें सरकार ने बहुत मानी हैं। हरियाणा सारे देश में पहला प्रदेश है जहां सरकारी कर्मचारियों की मांगों को केन्द्र के अनुरूप माना है। केन्द्र की रिपोर्ट के अनुरूप ही यहां पर ग्रेड दिये गये लेकिन एकाध बात मेरी जानकारी के मुताबिक न मानी हो तो वह भी मान लेनी चाहिए। कैजुअल लीव, अरन्ड लीव और मैडीकल लीव कोई लेना चाहता है तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है।

ऐसी छोटी– छोटी बातों में कर्मचारियों की नाराजगी लेना अच्छी बात नही है। इस बात पर पुनर्विचार कर लीजिए। गुप्ता जी वास्तविक स्थिति क्या है, यह तो आप जानते हैं। अगर आप इस तरह के आर्डर्ज को विदड्रा कर लें तो अच्छा रहैंगा।

श्री अध्यक्षः आप वाईंड–अप करें। आपने वायदा किया था कि जब मैं कहूंगा तो आप वाइंड–अप कर देंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः सर, अभी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनके बारे में आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिये हैं कि उन्हैं बनाया जाये। वे सडकें घमकौर से राजस्थान बौर्डर और कुरेरा से राजस्थान बौर्डर तक बननी हैं। इसलिए प्रार्थना है कि उन्हैं जल्दी बनाया जाये। वे हरियाणा को राजस्थान से जोड़ती हैं। इसके अलावा, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने लोहारू में०न का कारखाना लगाने के बारे में एलान किया थार। उसे भी शीघ्रता से लगाया जाए।

श्री अध्यक्षः आर्य जी, यह आपके पार्ट पर ठीक नहीं है। अब आप बैठिये क्योंकि काफी समय हो गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः एक मिनट में ही खत्म करता हूं। स्पीकर साहब लोहारू में दफ्तरों के लिए कोई जगह नहीं हैं इसलिए वहां पर एक मिनि सैक्रेटेरियट बनाया जाये ताकि वहां

दफ्तरों के लिए जगह मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यबाद करता हूं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): स्पीकर साहब हरियाणा एप्रोप्रिएशन (सं०2) बिल, 1989, आदरणीय उप–मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख रखा है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही अपने हल्के की एक दो मांगे भी रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पिछले पांच साल में विधान सभा में काफी सुझाव हमने रखे थे लेकिन हम अपनी बात सदन में कह कर चले जाते थे, कभी कोई मन्त्री इस तरह से प्यायंट नोट नहीं करते थे जिस तरह से गुप्ता जी करते हैं। पहले न कोई नोट करता था और न ही कोई जवाब देता था। उस समय हम ऐसा महसूस करते थे कि यहां आने का कोई खास फायदा नहीं हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि गुप्ता जी हरेक बात नोट भी करते हैं और जिस बात का वायदा विधान सभा में करते है, उसको पूरा भी करने की कोशिश करते हैं। इस बात के लिए मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। पिछले सैशन में मैंने माँग की थी कि हरियाणा के वकीलों पर जीन्द में कुछ झूठे मुकदमे बनाये गये हैं। उसके जवाब में गुप्ता जी ने कहा था कि मैं उन पर ध्यान करूंगा और अगर वह झूठे हुए तो मैं उनको वापिस भी लूंगा। मैं आज उनको मुबारिकबाद देता हूं कि इन्होंने जो 20–22 वकीलों पर झूठे मुकद्दमे बनाये गये थे, सारे हरियाणा के वकीलों की इज्जत दाव पर लगी हुई थी, उनको वापिस लिया है और सब

वकीलों की तरफ से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने लोगों को बचन दिया कि लोक राज लोक् लाज से चलता है और एक नारा भी दिया था कि भ्रष्टाचार बन्द बिजली पानी का प्रबन्ध। जहां तक भ्रष्टाचार बन्द करने की बात है, आज हम दावे के साथ यह कह सकते हैं और छाती ठोककर कह सकते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार काफी हद तक बन्द हुआ है। चाहैं आप नौकरियों को देखें, चाहैं ट्रांसफर्ज को देखें, चाहैं दफ्तरों में जो दूसरे काम होते हैं उनको देखें। अभी पुलिस में काफी भर्ती हुई है। कोई एक भी मिसाल ऐसी हमारे नोटिस में नहीं आई जिसमें कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसी तरह से एस० एस० एस० बोर्ड द्वारा भी काफी नियुक्तियां हुई हैं। वहां पर भी यह कोई नहीं कहू सकता कि किसी से कोई पैसा लिया गया हो। जबकि पिछले राज में बोलियां होती थी। एक तहसीलदार की अप्वायंटमैंट के लिए एक लाख रुपया दिया जाता था। इसी तरह से हरेक नौकरी के लिए रेट फिक्स कर रखे थे। इसी तरह से ट्रांसफर के लिए भी छोटे और बडे मुलाजिम के हिसाब से रेट फिक्स किये हुए थे। लेकिन आज जो भी ट्रांसफर्ज होती है, वह लोगों की तकलीफों को देखते हुए की जाती है। एक दूसरी जरूरी बात भ्रष्टाचार के बारे में मैं अवश्य कहना चाहूंगा। इसका जिक्र इस सैशन में भी आया कि भजन लाल के लड़के की शादी में दो करोड़ रुपये खर्च आया। वह पैसा कहां से आया? ऐसी बातें कांग्रेस के राज में खूब होती रही हैं। एक–एक मंत्री की लड़की की या लड़के की शादी के मौके पर उसी जगह पर तो

ब्याह रचाया जाता था और वहीं पर अफसरों को मीटिंग के रूप में बुलाया जाता था। उनको जो वहां पर आने के लिए 50– 50 या 100– 100 रुपये का भत्ता मिलता था, वह वहीं पर कन्या दान के रूप में देकर जाते थे और बड़े–बड़े गिफ्ट भी देकर जाते थे। इस किस्म के रीति रिवाज जो बने हुए हैं, उनको भी हमें खत्म करना चाहिए। हमारे अधिकारियों मंत्रियों और एम० एल० एज० को इस बारे में सोचना होगा कि जो भी शादियां होती हैं, उनमें मंडप रचाये जाते हैं, बड़े–बड़े भोज दिये जाते हैं, रिसैप्शन दिये जाते हैं, वहां पर सौ–सौ पॉच–पांच सौ और एक–एक हजार रुपये तक रिसैप्शन में भी दिए जाते हैं, और गिफ्ट भी दिये जाते हैं, इन किस्म की बातों पर हमें सोचना होगा। छोटी शादी हमें आदर्श के रूप में रखनी होगी। छोटी बारात हमें अपनी लड़की की शादी में मंगवानी होगी। हमें लड़के वालों को यह कहना होगा कि छोटी शादी होनी चाहिए ताकि हम यह आदर्श लोगों के सामने रख सकें। लोक यह महसूस करें कि जिस बात को गवर्नमैंट चाहती है, अपनी उस बात क्रो लागू भी करती है। बड़ी–बड़ी बारात आने पर बहुत ज्यादा खर्च होने पर कुछ ऐसे भी विधायक हैं, जो यह सोच कर घबरा जाते हैं कि इस किस्म की शादी वे कैसे करेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें अपने आप ही इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए और कभी आगे नहीं बढना चाहिये। लड़के के जन्म दिन भी इस तरह से नहीं मनाये जाने चाहियें जिससे लाखों रुपये उसके घर में इकट्ठे हो जायें। जहां तक बिजली पानी का प्रबन्ध करने की बात है, मैं यह कहना चाहूंगा कि

बिजली की अब कोई कमी नहीं हैं। हरियाणा का बच्चा–बच्चा इस बात को जानता है कि पानी की भी कोई कमी नही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कांग्रेस राज में ही पिछड़े हुए थे। पानी की वहां पर बहुत कमी थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया।

स्पीकर साहब, जुलाना हल्के में चाहैं एम०एल०ए० का चुनाव हो या मैम्बर औफ पार्लियामैंट का चुनाव हो कांग्रेस के विरोध में वोट मिलती रही है। चौधरी देवी लाल ने वहां चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से कामयाब हुए थे। लेकिन फिर भी वहां पानी की बहुत कमी रही है। आई० पी० एम० साहब से कई बार इस बारे में कहा है। कई बार स्कीम नीचे से चीफ इंजीनियर और इंजीनियर–इन–चीफ को भिजवाते हैं और इस बारे में टैलीफोन करते हैं लेकिन वह स्कीम नीचे एस० डी०ओ० और ऐक्सीयन के पास आ जाती है। उस स्कीम को दुबारा०पर भिजवाते हैं और इसमें चार पाँच महीने लग जाते है। लोगों का किराया लगता है और लोगों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। उनके दिमाग में शक पैदा हो जाता है। इसलिए औफिसर्ज को अपने दिमाग मैं एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि कौन से इलाके में पानी की जरुरत है। फिर बैठकर सीरियसली उसके बारे में प्रोपोजल तैयार करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी ही वह स्कीम पूरी हो जाए। स्पीकर साहब, जुलाना ऐसा हस्का हैं जहां

रजवाहों की बहुत कमी है। जब जीन्द में समस्त हरियाणा सम्मेलन हुआ था तो बह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। सारे प्रदेश के लोग उसमें शामिल हुए थे। उस समय जनता यह महसूस करने लग गई थी कि आज से भजन लाल चला गया, आज से कांग्रेस चली गई और कांग्रेस के पैर उखड़ गए हैं। उस वक्त हमें काफी मुबारिकबाद दी गई थी। लेकिन अपनी सरकार बनने के बाद जिला जींद का जितना ख्याल रखा जाना चाहिए था उतना ख्याल नहीं रखा गया है। जब हम वहां जाते हैं तो लोग के तौर पर लोग हमें कहते हैं कि टैनरी तो खो दी, आप क्या लाओगे? मेरा कहना है कि उसका जवाब देने के लिपु जींद जिले को कोई मैडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज या कोई आई ली०आर्डर दिया जाए या कोई और नया साधन दिया जाए जिससे हम फख्र से कह सकें कि जींद जिले से चौधरी देवी लाल को बहुत प्यार हैं। जुलाना हुक कस्बा है, वह एक मंडी है, वह ब्लॉक भी बना हुआ है, छोटे मोटे दफतर भी हैं, अस्पताल भी है और जितने भी कालेज हैं वे जुलाना से तीस चालीस किलोमीटर के बीच में हैं, चाहैं वह जींद का कालेज है, चाहैं वह मेहम का कालेज है और चाहैं वह रोहतक का कालेज है। वहां पर लड़कों का दसवीं तक स्कूल है और लड़कियों का भी दसवी तक का स्कूल है। लेकिन लड़कियों को जुलाना से बाहर उच्च शिक्षा लेने के लिए बसों में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर कालेज बनाया जाना चाहिए। अगर लड़कियों का कालेज नही खोला जा सकता तो कम से कम

को–ऐजुकेशनल कालेज ही खोल दिया जाए। लड़कियों के लिए 10+2 का स्कूल तो जरूर खोल दिया जाए।

स्पीकर साहब, अब मैं सड्कों के बारे में कहना चाहता हूं। एक सड़क इगरा से सिरसा खेड़ा बनाई जाए। यह सड़क हिसार रोड और भिवानी रोड को मिलाएगी। दूसरी रोड खेड़ा वाता से ममोला बननी है। यह सड़क रोहतक रोड से खांडेवाली सड़क को मिलाएगी। इसी तरह से एक सड़क नन्दगढ़ से बेरोखेडा तक बननी है। यह सड़क रोहतक रोड को गौहाना रोड से मिलाएगी। इस वक्त बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामलोकला गए थे औरे उन्होंने वहां सड़क के बारे एलान किया था। शामलोकलाँ परचेज सैन्टर है और ढिगाना के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर मिट्टी डाली जा चुकी है लेकिन पक्की सड़क नही है। मेरी प्रार्थना है कि शामलोकलां से ढिंगाना तक पक्की सड़क बना दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एम०आई० टी० सी० के नालों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दो साल से लोग इनके कारण वहुत परेशान हैं। यह नाले ओवरफलो होते हैं, लीक करते हैं और इनके लैवल खराब हैं। मेरी प्रार्थना हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस के उपरांत मैं हरिजन चौपालों के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय कुछ गांव तो ऐसे त्

जहां हरिजन चौपाल बिल्कुल नहीं हैं और कुछ ऐसी चौपालें हैं जो कांग्रेस राज्य में बनाई गई थी लेकिन वे अधूरी पड़ी हुई हैं। कहीं पर फर्श नहीं है और कही पर किवाड़ नहीं है। दस पन्द्रह हजार रुपए देने से वे हरिजन चौपालें पूरी हो सकती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन हरिजन चौपालों को पूरा किया जाए।

इसी तरह से पीने के पानी की भी बड़ी गम्भीर समस्या है। बहुत से गांवों में पीने के पानी की कमी है। जो वाटर वर्कस पड़ौस के गांव में लगा हुआ है उसकी सप्लाई दूसरे गांव को होती है लेकिन कभी रास्ते में पाईप टूट जाती है या तोड़ दी जाती है जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव पड़ाना और निडानी के बीच कई सालों से वाटर वर्कस लगाने की बात चल रही है लेकिन आज तक सरकार की ओर से वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अभी तक वहां पर कोई काम चालू नही हुआ है। उस वाटर वर्कस को बनाने का काम शुरू करवाया जाए।

इसके आगे मैं ड्रेनज के बारे में कुछ कहूंगा। ड्रेनज न बनने के कारण भैरों खेड़ा गाव में पानी खड़ा है। इसी तरह से नन्दगढ़ मेरहड़ा गांव में खेतों में पानी खड़ा है। छोटी–छोटी ड्रेनज बननी हैं, कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके।

स्पीकर साहब, कई जगहों पर मिनि बसिज चल रही हैं। जुलाना के अन्दर यह सहूलियत न होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। लोग एक–एक थ्री व्हीलर पर 40–50 तक चढ़ जाते हैं जिसके कारण कई बार ऐक्सीडैट से मौतें भी हो जाती हैं। खासतौर से लड़कियों और औरतों के लिये तो आने जाने में काफी मुश्किलातें पैदा हो जाती हैं। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि जुलाना की आबादी का ध्यान रखते हुए वहां भी मिनि बसिज चलाने का प्रबन्ध किया जाए। लोगों को काफी दूर दूर आने जाने की दिक्कत होती है। आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अवश्य गौर करेगी और शीघ्र ही वहां मिनि बसिज चलाने का प्रबन्ध किया जाएगा।

स्पीकर साहब, देहातों के अन्दर चूल्हा टैक्स लगाया जाता है जिसकी चार चार, पांच पांच और 10– 10 रुपये के हिसाब से लोगों से उगाही की जाती है लेकिन दिक्कत यह है कि गांवों के अन्दर पार्टीबाजी के कारण इसकी उगाही ठीक नहीं हो पाती। गांव में जिस पार्टी का सरपंच होता है, उसकी उगाही तो हो जाती है, दूसरों की नहीं होती। जब कभी नौकरी वगैरह के लिये किसी को डोमीसाइल सर्टीफिकेट वगैरह लेना होता है या सीमेन्ट वगैरह लेना होता है तो कहा जाता है कि चूल्हा टैक्स ले कर आये हो? अगर गांव का सरपंच नहीं मिलता या बी० डी० ओ० वगैरह नहीं मिलता तो लोगों को डोमीसाईल सर्टीफिकेट नहीं मिलता जिसके कारण बच्चे नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। अब

तो लोग आगे से काफी जागरुक हैं, उनको पता ही है कि सरकार से मैचिंग ग्रांट भी मिल सकती है। चूल्हा टैक्स देने से लोगों को कोई ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन यह शर्त लगा दी जाती है कि डोमीसाईल सर्टीफिकेट तभी मिलेगा जब चूल्हा टैक्स देने का प्रमाण दिया जाएगा। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि यह जो शर्त है, यह हटाई जाए इस से लोगों को काफी नुकसान होता है और उनके बच्चे नौकरियां वगैरह पाने में पीछे रह जाते हैं। इस पुराने सिस्टम खत्म किया जाए और चूल्हा टैक्स माफ किया जाये।

इससे आगे मैं ऐन्क्रोचमैन्ट के बारे में भी कुछ कहूंगा। पता नहीं हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता। आज ऐन्क्रोचमैन्ट के कारण गांवों की बहुत बुरी हालत है। बदमाश लोग अन–औथोराइजड तरीके से लोगों की, सरकार की जमीन हड़प कर बैठे है। पशुओं को खड़ा करने के लिये कोई जगह नहीं है। औरतों को इज–आउट के लिये कोई जगह नहींहै। खेतों में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि मुर्दो का दाह संस्कार करने के लिये भी कोई जगह शेष दिखाई नहीं देती है। इन बातों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देकर नाजायज कच्छों को छुड़वाना चाहिये वरना इसमें सरकार की कमजोरी दिखायी देगी कि सरकार ऐसा करने में असफल रही है। ऐसा होने से लोग खुश होंगे और माहौल भी अच्छा होगा।

आखिर में एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहां बैठे हम कुछ भी कह लें, लेकिन जब हम अपने हल्कों में जाते हैं तो वहां पर लोगों की बड़ी भारी भीड़ लग जाती है। कोई कंडक्टर के लिये पर्ची देता है, कोई क्लर्क के लिये पर्ची देता है। कोई कहता हैं कि दस्तखत करवाके ये हमारा लैटर भिजवा दो। कई किस्म की प्रोब्लम्ज हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। बी० ए० एम० ए० लड़के लड़कियां इस बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं लेकिन इन सारी बातों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। यह कहना तो कोई गल्त, नहीं कि आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने 100 रुपया बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया है लेकिन बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जिनको भत्ता नहीं मिलता है। वे भी नौकरी चाहते हैं। चाहैं छोटी हो या बड़ी हो। इस ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये। यह बड़ी ही गम्भीर समस्या है और आसानी से हल नहीं हो सकती। इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये एक हाई लैवल मिनिस्टर्ज की कमेटी बनायी जाए जिसमें तीन चार सुलझे हुए अधिकारी भी हों, वे बैठ कर इस समस्या के बारे में विचार करें कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे नौकरियां दिलवाई जा सकती हैं। चाहैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी पड़ें, चाहैं ट्रेनिंग सैटर खोलने पडे यानी किसी किस्म का भी धंधा खोलना पड़े लेकिन मैक्सीमम लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इन बातों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता

हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए पूरा पूरा समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस ऐप्रोप्रिएशन बिल की प्रशंसा एवं समर्थन करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, मैं सब से पहले फ्लड कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके लिए बजट मे बहुत थोड़े पैसे रखे गए हैं। अब भी यह स्कीम जिस ढंग से बनाई जाती है वह वही ढंग है जो पहले औफिसर्ज और इंजिनियर्ज अपने आप बैठ कर बना लेते थे। हर साल ये लोग जो काम करते हैं वह फ्लड आने पर फेल हो जाता है। उसमें कमी इसलिए रह जाती है कि जो लोकल लोग हैं उनसे इस बारे में सलाह मश्विरा नहीं लिया जाता। मैं समझता हूं कि इस बार भी ऐसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसमें लोगों को इनवोलव करना चाहिए। लोगों का अपना तजरबा होता है, वे बता सकते हैं कि अगर इस तरह से किया जाए तो बेहतर हो सकता है। फाइनल फैसला चाहैं इंजीनियर्ज ही करें लेकिन लोगों की राय के बगैर जो काम किया जाएगा वह अधूरा रहा है और अधूरा रहैंगा। इस साल जो फ्लड आया उससे मेरे इलाके में बांध टूट गए। एक शांति नगर गांव है वहां पर 10–20 फुट गहरे गड्ढे पड गए और एक दो घरों की तो जमीन का सत्यानाश हो गया। इसलिए लोगों की राय लेना जरूरी है। हथनी कुंड के लिए तीन करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है। मैं समझता हूं कि उसके लिए नीड बहुत ज्यादा है, हम उसके बारे में सीरियस नहीं हैं। हथनी कुंड

बैराज ताजे वाला की जगह बनना है। ताजे वाला बैराज पश्चिमी यमुना नहर के लिए पानी देता है। वह बहुत पुराना हो चुका है। वह 1978 में भी टूट सकता था और पिछले साल भी टूट सकता था तथा अब भी टूट सकता है। खुदा करे कि हथनी कुंड बनने तक वह चल जाए लेकिन अगर वह टूट जाए, क्योंकि हर बात हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम 17 लाख एकड़ जमीन को यमुना कैनाल से इरीगेट करते हैं। उसमें ज्यादा सिंचाई सावणी की है। उसमें 12 हजार क्यूसिक पानी बहता है। इसलिए अगर वह टूट जाता है तो 12 हजार क्यूसिक पानी जो हरियाणा को मिलता है और उससे 17 लाख एकड जमीन की सिंचाई होती है वह एकदम खत्म हो जाएगी। जब तक हथनी कुंड बैराज नहीं बनेगा तब तक सिंचाई नहीं होगी। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नलवी और लाडवा नहरें मंजूर हुई थीं लेकिन वे नहीं बनाई गई। नलवी नहर बनने से सावणी में दो लाख एकड़ रकबा सिंचित हो सकता है। यमुना में बहुत पानी है और वह नहरें बनने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। इन पर 18 करोड़ रुपए का खर्चा है। यह नहर उस इलाके में बननी है जहां ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं और वे फेल हो गए हैं। क्योंकि वहां पर पानी 60 फुट नीचे चला गया है। अब वहा पर बड़ी मोटरें लगती हैं जिन पर बिजली ज्यादा खर्च होती है। हमारे बिजली बोर्ड को और सरकार को वहां पर सबसिडी ज्यादा देनी पड़ती है। उस एरिया में बीस हजार के करीब ट्यूबवैल्ज हैं। उनका कनैक्टिड लोड एक लाख हौर्स पावर

है और डेढ लाख यूनिटस एक घंटे में खर्च होती है। हरियाणा सरकार को 6 महीने में दस करोड़ रुपए सबसिडी के देने पड़ते हैं। जितना पैसा हम सबसिडी का देते हैं उसको अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है जबकि इन दोनों नहरों का खर्चा 18 करोड़ रु० है। अगर ये नहरें बन जाएं तो हमारा बहुत पैसा बच सकता है। इसलिए यह सारा हिसाब कैलकुलेट करना चाहिए। इसलिए नलवी और लाडवा नहरें बननी चाहिएं। इसमें देर करने से हमारा बहुत नुक्सान हो रहा है और वहां पर इरीगेशन का सारा सिस्टम फेल हो रहा है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों के बारे में मेरी अर्ज है कि जितने अस्पतालों की बिल्डिंग पुरानी हैं, जो अनसेफ हो चुकी हैं, उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। हमारा शाहबाद का अस्पताल बहुत पुराना बना हुआ है। उसका एक वार्ड अनसेफ डिक्लेयर करके बंद कर दिया मया है। स्थ अस्पताल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। अस्पतालों में बीमार लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आते हैं इसलिए सरकार को अस्पतालों की नई बिल्डिंग्ज बनाने के लिए प्रैफरैसं देनी चाहिए। प्रायरिटी होनी चाहिए कि सरकार ने कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा। इस सरकार ने घाटे का बजट हरियाणा को दिया है और सरकार की यह मजबूरी भी है कि जो खर्चे बढ़ते हैं और जो अलाउ सिज कर्मचारियों के बढ़ाने पड़ते हैं तथा जो दूसरे खर्चे होते हैं उसी के कारण घाटे का वजट होता है। लेकिन जो कर्मचारियों को

अलाउ सिज देने पड़ते हैं जिससे जितना पैसा खर्च होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमैंट की नही होनी चाहिए बल्कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सैंटर गवर्नमैंट भी अपना डेफिसिट बजट पेश करती है और लोगों पर टैक्स लगाती है जिसके कारण कीमतें बढ़ी हैं, मंहगाई बढ़ी है और उसका असर स्टेट गर्वनमैंट को भी भुगतना पड़ता है। हमारी पंचायतों, म्यूनिसिपल कमेटियों तथा हर वर्ग के आदमियों को भुगतना पड़ता है। इसी बजट भाषण में हमारे विल मंत्री जी ने यह कहा है कि 27 फरवरी को पे ऐनोमली कमेटी ने अपनी रिकमैंडेशंज दे दी हैं, उस पर विचार करना और विचार करने के बाद उसकी सिफारिशों को इम्पलीमैंट किया जाना है। जब पे ऐनोमली कमेटी की सिफारिशों को इम्पलीमैंट किया जाएगा तो उससे बजट में और घाटा बढ़ेगा। इसीलिए हमें अपना बजट सुचारू ढंग से बनाना चाहिए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो इन्टर स्टेट रोड्ज हैं उनके लिए बजट में नौमिनल रकम रखी गई है और न के बराबर रखी गई। आर्य साहब ने बोलते हुए कहा था कि जो सड़कें राजस्थान स्टेट से जुड़ने वाली हैं और जो पटियाला से जुड़ने वाली हैं, वे केवल दो दो या तीन तीन किलोमीटर के टुकड़े हैं। अगर उनको बना दिया जाए तो उससे सीधा लिंक हो जाएगा और लोगों को 20–20 और 30–30 किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पडेगा। सरकार को जो बसों के डीजल का खर्चा आता है बह भी बच जाएगा और लोंगों का जो पैसा खर्च होता है, वह भी बच जाएगा। इसलिए सरकार को

इन्टर स्टेट जो छोटे छोटे–सड्कों के टुकड़े हैं, उनको प्रायर्टी बेस पर बनाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री मनी राम (डबवाली, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, जो ऐप्रोप्रिएशन (नं०2) बिल 1989 सदन में पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे हल्के के लोगों को नहरी पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, उस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे इलाके में भाखड़ा का पानी लगता है और मेरा हल्का डबवाली राजस्थान बोर्डर के साथ लगता है और टेल पर पड़ता है। वह रेतीला इलाका है। मेरे हल्के में सारे खाल कच्चे हैं। सदन में एक सवाल 'के जवाब में मन्त्री जी ने कहा था कि 50 हजार फुट लम्बे खाले पक्के किए जाएंगे। स्पीकर साहब, यह बहुत थोड़ी लम्बाई है। इस तरफ सरकार को सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिए और इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को ही फायदा पहुंचेगा। मेरे हल्के डबवाली में एक गाँव हसू है। वहां पर एक खाला है। उसको आई० पी० एम० साहब ने भी देखा है। उस खाले की 82 हजार फुट लम्बाई है। उसको पक्का करने के बाद सरकार ने जो 50 हजार फुट लम्बे खाले पक्के करने हैं, उसमें से क्या बचा? इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस 50 हजार फुट की लिमिट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि डबवाली की 50 हजार की आबादी है और वहां

के अस्पताल की बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है इसलिए उस अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि कालांवाली मंडी में अस्पताल. मंजूर हो चुका है। वह भी जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि कालांवाली मंडी की 20–25 हजार की आबादी को उसका फायदा मिल सके। इसके साथ साथ मैं अपने हल्के की सड्कों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में गांव गोरीवाला से गांव झुटी तक सड़क बनाई जाए। वह केवल दो किलोमीटर का टुकड़ा है। उसके बनने से गांव झुटी के किसानों को बहुत फायदा होगा क्यौंकि गोरीवाला गांव में परचेजिग सैटंर है। इसी तरह से गांव भारूखेड़ा से गांव चौटाला तक चार किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बनाया जाए ताकि गांव भारूखेड़ा के किसानों को फायदा मिल सके क्योंकि चौटाला में परचेजिंग सैटर है। इसी तरह से गांव हसू से गांव असीर तक दो किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बनाया जाए। अगर इन दोनों गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाए तो वहां के किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस समय उन गांवों के किसानों को कालांवाली मंडी में आने के लिए 20 –2 5 किलोमीटर का चक्कर काटना पल्ला है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा हल्का बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने ओडा में एक जे०बी०टी० ट्रेनिंग सैंटर खोलना है। ओडा डबवाली से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि डबवाली में जे०बी०टी० ट्रेनिंग सैटर जल्दी खोला जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस ऐप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करते हुए यह आशा करता हूं कि सड्कों और शिक्षा

आदि के बारे में मैंने जो बातें कहीं हैं उन पर सरकार बड़ी सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देगी।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, जहां तक विनियोग बिल पर बोलने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस पर बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है कि जनरल बजट पर जो बहस हुई, उस पर लगभग सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बातें कही थीं और मैंने बड़े विस्तार से उन सब बातों का जवाब दिया था। जहां तक मेरा अनुमान है सरकार की ओर से शायद मैं 74–75 मिनट तक उस रोज बोला था। उसके बाद जब डिमांड पेश हुई तो उस पर भी कुछ सम्मानित सदस्य बोले और उनका भी बड़े विस्तार से मैंने जवाब दिया था। अध्यक्ष महोदय, विनियोग बिल पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया था कि जिन सदस्यों को उपरोक्त दोनों अवसरों पर बोलने का मौका नहीं मिला था उनको ही विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जाएगा ताकि वे सम्मानित सदस्य भी अपने हल्के की बात कह सकें।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलबीर सिंह जी बजट पर भी बोले, डिमांडज पर भी बोले और अब भी बोले हैं। ये अच्छे सुझाव देते हैं, अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने बोलते हुए उद्योग की चर्चा की कि उद्योग के लिए हमने बहुत कम पैसे का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। जितना जरूरी समझा गया उतना प्रावधान उद्योग के लिए किया गया है। जैसा मैंने पहले भी बतलाया था कि प्रदेश का औद्योगिकरण करने के लिए हमारा पूरा ध्यान है, पूरा प्रयास है। यही कारण है कि पिछले दिनों हमने नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया है और उसकी घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 11 तारीख को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चौम्बर्ज, जो इस क्षेत्र की इण्डस्ट्रीयलिस्टस की सबसे बड़ी संस्था है, ने एक फंक्शन किया था और उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने हमारी नई औद्योगिक नीति की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने हमारी बहुत सराहना करते हुए कहा कि इस नई नीति को बहुत जल्दी लागू किया जाए, इम्पलीमैट किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात की है और जो हमारे एल०आर० हैं उनकी भी सहमति प्राप्त कर ली है। अब बहुत जल्दी ही उस नई औद्योगिक नीति को हरियाणा प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। वह नई औद्योगिक नीति लागू होने से मैं समझता हूं हरियाणा प्रान्त में बहुत सारे नए उद्योग लगेंगे क्योंकि सरकार की ओर से उन्हैं बहुत सारी सुविधाएं दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिक इण्डस्ड्रीज हैं, यूनिटस हैं, उनको भी हमने उस नई नीति के तहत सहारा देने का प्रबंध किया है ताकि फिर से वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की तो अपने सिंक यूनिटस को सहारा देने की योजना है लेकिन किसी प्रदेश के अन्दर सिक इण्डस्ट्रीज को सहारा देने का प्रावधान नहीं है। सबसे

पहले यह फल हमने अपने हरियाणा प्रान्त में की 'है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का उद्योगों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है। हमारी यह भी कोशिश है कि छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दे सकती है? इसमें कोई सन्देह नहीं कि पढ़े–लिखे बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार देने का एकमात्र साधन उद्योग–धंधे हैं। इसलिए हमारी सरकार इस ओर पूरी तरह से सचेष्ट है। चौधरी बलबीर सिंह जी ने आरक्षण नीति के बारे में कहा है कि आरक्षण नीति इस प्रकार की बनाई जाए जिसमें 50 प्रतिशत स्थान देहाती क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखे जाएं। अध्यक्ष महोदय, शायद आपके नोटिस में भी यह बात हो कि हम देहात के नाम पर नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं कर सकते। पिछले दिनों मैडीकज कालेज में देहात के नाम से एक सीट आरक्षित की गई थी लेकिन लोग बाद में इस सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने वह आरक्षण रद्द कर दिया था। जहां तक मैं समझता हूं विधान की दृष्टि से देहात के नाम से कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो आरक्षण नीति है उसमें 50 प्रतिशत ही रिजर्वेशन हो सकती है और वह हमने पहले ही की हुई है। इससे अधिक आरक्षण की गुन्जाइश इस नीति के अन्दर नहीं है।

डा० बृज मोहन गुप्ताः ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में कुछ बातें कहीं। उन्होने एक बात कही कि हरियाण प्रदेश बनने के वक्त जो सुविधाएं हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध थीं उनमें से कई सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है हरि– याणा बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से कोई भी सुविधा वापिस नहीं ली गई है बल्कि सुविधाएं ज्यादा दी गई हैं। काफिडैशियल रिपोर्ट लिखने के बारे में उन्होंने बताया कि गोपनीय रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों द्वारा ही लिखी जानी चाहिए जब कि गोपनीय रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर लिखता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा समझा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है और औफिसर्ज से उसे काम लेना होता है क्योंकि सारे विभागों की कोआडिनेशन उसे करनी पड़ती है इसलिए उसे इस बात का ज्ञान भली–भांति होता है कि किस अधिकारी व कर्मचारी की कारगुजारी कैसी है। इसी कारण अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से लिखवाई जाती है। कहोने यह भी कहा कि ''ऐवरेज रिपोर्ट'' को ऐडवर्स माना जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि यदि कोई बैनिफिट या तरक्की कारगुजारी को देख कर दी जानी हो तो अबव ऐवरेज रिपोर्ट होनी चाहिए। यह तो आप भी मानेंगे कि अबव ऐवरेज जिसका काम या कारगुजारी होगी उसी को कोई एवार्ड या ऐंडवैटेज मिलना चाहिए। श्री हीरा नन्द आर्य जी ने कर्मचारियों की लीव की बात

की है। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 18– 11– 1988 को हमारे मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को कर्मचारियों की कैजुअल लीब, मैडीकल लीव और अरन्ड लीव के बारे में हिदायतें जारी की हैं। मैडीकल लीव, या कम्युटिड लीव तभी दी जाएगी जब अधिकारी या कर्मचारी यह सर्टिफिकेट देगा कि वह 10 दिन तक बीमार रहा और काम करने योग्य नहीं था। कैजुअल लीव के बारे में भी यह हिदायत दी गई है कि ईवनली डिवाईड करके दी जाए। इसी प्रकार अरन्ड लीव के बारे में भी यह हिदायत दी गई है कि 1० दिन से कम की अरन्ड लीव न ली जाए। ये सब हिदायतें इस लिए जारी की गई हैं ताकि इन छुट्टियों का दुरूपयोग न हो सके और बीमार होने पर या जरूरी काम पड़ने पर ही छुट्टिया प्राप्त की जा सकें। इन्होने डाक्टर्ज और चीफ इन्जीनियर के बारे में कहा कि जो विभागीय सैक्रेटरीज होते हैं, वे इन्जीनियर या डाक्टर्ज ही बनाएं जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हैं कि चीफ इन्जीनियर्ज तक के हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता है और वे अपने काम को भी करते हैं। लेकिन जौ आई० ए० एस० औफिसर्ज हैं उनको खास तौर पर ऐडमिनिस्ट्रेशन की ट्रैनिंग दी जाती है। उनका अनुभव और ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से सैक्रेटरी और कमिशनर का रैंक आई० ए० एस० अधिकारियों को ही दिया गया है। सी० एम० ओज० को जिले में लगाया जाता है। डाक्टर्ज का जहां तक सम्बन्ध है, ऐडमिनिस्टेरशन का सारा काम वे ही डील करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात भी इन्होंने कही। उन

नेताओं की काफी चर्चा यहां हो चुकी है। इन्होंने यह भी कहा है कि केवल आठ दस साल हकूमत में रह कर वे कितना मालामाल हो गये? आप भी जानते हैं और दूसरे सभी लोग जानते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, इन्कवायरी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने नाजायज तरीके से और विश्वासघात से धन इकट्ठा किया है, हम मानते हैं कि उन्हैं सजा मिलनी चाहिए। इन्होने लौहारू की भी बात की कि मुख्य मन्त्री जी ने०न के कारखाने की घोषणा की थी। हमारे मुख्य मंत्री जी जो भी घोषणा करते हैं, उसे सरकार तत्परता से लागू करती है। यदि मुख्य मंत्री जी ने ऐसी घोषणा की होगी तो उसे पूरा किया जायेगा। हमारे विधान सभा के उपाध्यक्ष जी ने अपने हल्के की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ब्याह शादी में कम खर्च करना चाहिए और मंत्री तथा विधायक अगर उदाहरण पेश करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बड़ा लाभ होगा। हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जुलाना में कालेज और 10 + 2 का स्कूल होना चाहिए। सड्कों और नहसे की बात भी उन्होंने की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, धन हाथ में न होने की वजह से एकदम यह नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। डाक्टर हरनाम सिंह ने बाढ़ की बात कही। बाढ़ के बारे में बहुत बातें कही जा चुकी हैं और हमारे सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने कहा कि नयी मौनसून आने से पहले काफी प्रबन्ध कर लिया जायेगा ताकि बाढ़ के मामले में किसी क्षेत्र को नुकसान न हो। डाक्टर हरनाम सिंह जी ने हथनी कुण्ड बैराज की भी बात कही। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ रुपया रिलीज कर

दिया है। हथनी कुण्ड बैराज पर काम बढ़ेगा तो और धन भी दिया जायेगा, वहां पैंसे की कमी नहीं रहने दी जायेगी। चौधरी मनी राम जी ने डबवाली क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि चूंकि वह रेतीला इलाका है इसलिए वहां पर पक्के खाल होने चाहिए। ज्यों ज्यों फन्डज उपलब्ध होते रहैंगे, उनकी बात पूरी की जायेगी। उन्होंने अस्पताल की बिल्डिंग की बात भी की कि उसकी हालत खस्ता है और वहां पर पैसे की कमी है। अध्यक्ष महोदय, जितने पैसे विकास के लिए चाहिए, जहां तक सम्भव हो उसे पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवी लाल की सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाऐं दी हैं। बुंजुर्गों को पैन्शन दी है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, विधवाओं और विकलांगों को ज्यादा सुविधायें दी हैं और साथ ही साथ विकास की गति को भी बनाये रखने के लिए प्रयास जारी हैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को तुरन्त पास किया जाये।

Mr. Speaker ; Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question

That clause 2 stand part of the Bill .

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (अमैंडमैंट) बिल 1989

श्री अध्यक्ष: अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर, दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी अमैंडमैंट बिल, 1989, को

इन्ट्रोडथूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगें।

Irrigation and Power Minister (Shri Vcrender Singh) : Sir,. I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 1989,

I also beg to move—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल बड़ा अहम बिल है। इस बिल पर विचार करने के लिये चूंकि समय नहीं मिला है इसलिये इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये और अगले सैशन में इसको टेकअप कर लिया जाये। धन्यवाद।

ई० जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बिल हमें आज अभी–अभी मिला है। इसको पढ्ने से यह पता चलता है कि यह हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी 1977 में बनाई गई थी। अब इस समय पंजाब में भी ऐसी डिवैल्पमैंट अथौरिटी कोईनहीं है। इस बिल के ऐम्ज एंड आज्जैक्ट्स में यह लिखा हुआ है–

"....The proposed Local Development Authorities would be by and large autonomous organisations having their own independent administrative set-up, finances/budget and machinery for planning, enforcement, acquisition, development and disposal of land in the Local Development areas as may be declared and notified by the Government....."

ऐसा देखा गया है कि 1977 में जब यह अथौरिटी बनाई गयी, उससे पहले अर्बन डिवैल्पमैंट का जो काम था, उसका 90 परसैंट काम पी० डब्ल्यू० डी० की बी० एण्ड आर० और पब्लिक हैल्थ ब्रांचिज किया करती थी और काम ठीक तरह से चल रहा था। पंजाव में अब भी जो लोकल अर्बन डिवैल्पमैंट हो रही है, वह पी० डब्ल्यू० डी० की वही दो ब्रांचिज कर रही हैं जिनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्सपैंसिज भी बहुत कम रहते हैं। अलग लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटी बनाने से अलग–अलग चीफ इंजीनियर, अलग–अलग चीफ टाउन प्लानर आदि रखने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि इनके लिये सारी सैट–अप नई और अलग रखनी पडेगी। पंजाब में यह सारा काम इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन यानी पी० डब्ल्यू० डी० ही कर रही है। इस तरह से इस बिल द्वारा फरदर अमैंडमैंट करके यह जो लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटी बनाई जा रही है, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। यह सरकार इस अथौरिटी को किसी भी शहर में बना सकेगी। उसके लिये आटोनोमस सैट–अप बनाने की बात कही गयी है जैसे दूसरी आर्गेनाईजेशनज हैं। पी० डब्ल्यू० डी० है। उसमें चीफ इंजीनियर और दूसरे औफिसर्ज हैं, इसी तरह से इन अथौरिटीज में भी चीफ

इंजीनियर, चीफ टाउन प्लानर आदि सारे आदमी रखने होंगें। इसका कोई विशेष फायदा नहीं है। पहले तो हुडडा बनाने की ही जरूरत नहीं थी। अगर चलो, हुडडा बन भी गया तो यह नहीं किया जाना चाहिये जो अब किया जा रहा है। मेर। कहने का मतलब यह कि इस तरह से लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटीज बनाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, यह जो बिल यहां पर लाया गया है, इस बिल को पढ्ने के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि समय जरूर देना चाहिए क्योंकि यह बिल फरीदाबाद के लिये लाया गया है और फरीदाबाद मेरा अपना हल्का है। उसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर अफसर बिठाये जाने की बजाये वहां के लिये जनता के नुमायंदे चुने जायें और चुने हुए नुमायंदे वहां पर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। फरीदाबाद में एक अफसर बैठा हुआ है। .....
.....

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वहां चुने नुमायदे होंगे तो कम से कम 5 साल या तीन साल के बाद जनता उनको हटा तो सकती है। इसलिये वहां पर इसके लिये भी चुनाव करवाए जायें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार जो हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 1989 लाई है इसकी जरुरत किस वजह से महसूस की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्देश्य का ताल्लुक है वह यह है कि शहरों का समुचित और सुव्यवस्थित ढंग से विकास हो सके। इसके उद्देश्य से तो मैं इत्तफाक करता हूं और उद्देश्य की दृष्टि से यह बिल बिल्कुल सही है। उद्देश्य गलत नहीं है लेकिन जहां तक इसके कारणों का ताल्लुक है और जिनके बारे में कहा गया है कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी, नाजायज तामीर, अनअथोराइज्ड कालोनीज, हुड्डा, नगरपालिकाओं और हुड्डा–कम्पलैक्स के बीच प्लानिंग और विकास के कामों में तालमेल का अभाव, देरी व अन्य कारणों से समस्याएं पैदा हुई हैं और शहरों का समुचित और सुव्यवस्थित विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण यह बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से और विशेषकर मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां तक प्राधिकरण का ताल्लुक है उसको अलग बनाने से, उसका अध्यक्ष बनाने और उपाध्यक्ष बनाने, ऐडबाइजरी बौडी बनाने तथा दूसरा अमला लगाने, जिस पर प्लानिंग की और विकास की जिम्मेदारी होगी, से इतना फायदा नहीं होगा और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो प्राधिकरण बनाया जाएगा उसमें नोमिनेटिड मैम्बर्ज होंगे। उससे डिले की बात तो समझ में आती है कि डिले खत्म हो जाएगी और इससे तालमेल भी पैदा होगा लेकिन स्वायत्त शासन और प्रजातन्त्र की भावना खत्म हो जाएगी। यह स्वायत्त

भावना और प्रजातन्त्र की भावना के विपरीत हो जाएगा। कम्पलक्स और कमेटीज सिर्फ टैक्स लगाने वाली संस्था तक ही रह जाएगी। चुने हुए नुमाइंदों और प्रतिनिधियों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्राधिकरण जिससे तालमेल और सुव्यवस्थित विकास हो सकता है तो इस प्राधिकरण को कम्पलैक्स ओर नगरपालिकाओं का विंग बना दिया जाए और विंग के तौर पर उनके नीचे यह काम करे। जन प्रतिनिधि ही अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, विकास की हालत को और दूसरी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इसको नगरपालिकाओं और कम्पलैक्सिज के विंग का रूप ही दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिवैल्पमैंट और प्लाट सिस्टम का ताल्लुक है, हुड्डा जनसाधारण को नो प्रोफिट नो लौस पर प्लाट देने की गारन्टी भी देतो है, लेकिन जहां तक के प्रोफिट नो लोस का ताल्लुक है आज हुड्डा द्वारा 400 और 500 रुपया मे ति गज के हिसाब से प्लाट की कीमत चार्ज की जाती है। हुड्डा की तरफ से कहा जाता है कि बह यह प्लाट सस्ते दर पर देता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इसके लिए सरकार कोआप्रेटिव सैक्टर को तरजीह दे तो ज्यादा अच्छा रहैंगा। इसलिए इस स्कीम के लिए सरकार दक्षिण के राज्यों को स्टडी करे जहां कोआप्रेटिव सोसायटी के लिए अपना मकान खुद बनाने का प्रावधान है। मैं फरीदाबाद की मिसाल देना चाहता हूं। वहां कोआप्रेटिव बेसिज पर ऐक्स सैनिक सोसायटी ने एक कालोनी बनाई है और उस कालोनी में इन्नर और आउटर डिवैलपमैंट का कुल 100 रुपया प्रति गज के

हिसाब से खर्च किया है। किसान को तो सरकार पूरा मुआवजा नहीं देती लेकिन अगर सोसायटी किसान को 4– 5 लाख रूपया पर एकड़ मुआवजा देकर और जमीन खरीदकर अपने लिए मकान बनाएगी तो वह. खर्चा कुल खिलाकर 200 रुपया प्रति गज डिवैलपमैट के साथ पड़ता है। इससे किसान को भी पूरा पैसा मिल गया और इन्नर एंड आउटर के डिवैलपमैंट चार्जिज मिलाकर 200 रुपया गज के हिसाब से जमीन मिल गई। इससे मकान लेने वालों को कितना फायदा हो गया जबकि हुड्डा 400 रुपया या उससे भी ज्यादा का रेट लगाता है। इस दृष्टि से क्यों न कोआप्रेटिव सैक्टर पर बोझ डाला जाए? हर जगह कोआप्रेटिव सोसायटीज बन जारा और जहां उनको मकान की जरुरत हो वहां सोसायटीज मकान बना दे। यह मकान हर ढंग से बेहतर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से ' प्रार्थना करुंगा कि प्रजातन्त्र की भावना और स्वायत्ता की भावना को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण, जो इलैक्टिड बौडीज हैं, उनके अन्डर काम करे तो ज्यादा अच्छा रहैंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कम्पलैक्स की डयूटी केवल टैक्स उगाहना ही रह जाएगी और चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर और ऐडमिस्टेरटर की जरुरत हीं नहीं रहैंगी। मेरा यह सुझाव है कि इस बारे में और जांच की जाए। ऐसा न हो कि यह कहीं बोझ बन जाए। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है कि सब चीजें मद्देनजर रखते हुए यदि इसको विंग के तौर पर कमेटीज और कम्पलैक्सिज के अन्डर काम करने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहैंगा।

12.00 बजे।

श्री मंगल सैन (रोतहक): स्पीकर साहब, बहुत दिनों से इस बिल के बारे में चर्चा थी। कल यहां पर हुडडा के हजारों कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया उसकी आज अखबारों में काफी चर्चा है। उन्होंने जलूस भी निकाले हैं और कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं जो कि एक नौर्मल प्रैकटिस है लेकिन लोकतन्त्र के अन्दर इन सभी बातों को अनदेखा कर देना, नापसन्द करना और मतभेद की नीति सरकार को नहीं अपनानी चाहिये थी। (विघ्न) कुछ लोग क्य रहैं हैं कि वे व्यर्थ में शोर बचा रहैं हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इन बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिये। इन बातों की गहराई में जाना चाहिये था। स्पीकर साहब, हम लोग भी वही सफर तय करके यहां तक पहुंचे हैं उसी वेदी में से निकल कर ही हम यहां पर आये हैं। अतरू मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों की बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिये। वे कर्मचारी कहते हैं कि हमारे साथ बेइन्साफी हुई है। क्यों हुई है? उस बेइन्साफी का कोई हल क्यों नही ढूंढा जाता? हमारे संसदीय कार्य मन्त्री, श्री वीरेन्द्र सिंह जी बड़े अच्छे व कुशल प्रशासक हैं उनको अपनी दलीलों से क्यों नहीं राजी कर लेते। यूं सारे प्रदेश में हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है? सुना है, स्पीकर साहब, सरकार किसी कौलोनाइजर को चेयरमैन बनाने का प्रोग्राम बना रही है। ये भी तो बैठे हैं, ये खुद ही उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हैं बनाया जा रहा है। यदि कहीं और जोर पड़ गया

तो हो सकता है कोई और ही बन जाए। जरा इस बात का भी ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में व्यूरोक्रैटस का अपना रोल होता है। वे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति होते हैं। उनकी अपनी योग्यता है। वे परमानैन्ट हैं। अपने काम में माहिर हैं। हम लोग मोस्ट टैम्पोरेरी हैं। अभी बरारी सहाब राष्ट्रपति को लिखकर भेज देवें कि इस सदन को सस्पैन्ड किया जाये तो हम बिस्तर बांध कर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि कौलोनाइजर के स्थान पर यदि किसी व्यूरोक्रैट्र को ही इस अथौरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए तो उचित रहैंगा आगे आपकी मर्जी।

स्पीकर साहब, अगर हम अपनी समझ से काम लेंगे तो जनता, जिसने हमें चुनकर यहां पर भेजा है, के हितों के लिये हम लडेगे। यदि अपने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे और जनता की इच्छानुसार काम करेंगे तो कोई भी ताकत हमें यहाँ से हटाने वाली नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे आदरणीय साथी भारत की संसद में पहुंचने वाले हैं और बहुमत में पहुंचने वाले हैं। इसलिये स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि पहले जो कुछ हुड्डा में होता था, वह और बात है। फाईलें भी गुम होती रही हैं लेकिन अब आपके होते हुए ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये' क्योंकि अब तो चाबी और ताला आपके हाथ में ही है। जरा हुड्डा पर कंट्रोल रखिये। स्पीकर साहब, हुड्डा का जो परपज था, वह उसने पूरा नहीं किया। अगर आप मेरी

बात से सहमत हों तो मैं कह कि इन्होंने गुड़गांव में करोडों रुपया लोगों से इक्ट्ठा कर लिया और यह कह दिया कि फलाँ तारीख तक फार्म भेज दो, हम आपको जमीन देंगे लेकिन पता नहीं वह पैसा किस कोष में चला गया? स्पीकर साहब, हुड्डा का मतलब है, लोगों की सेवा करना लेकिन उसने नीलामी का सिस्टम ही पकड़ लिया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। दरमियाना आदमी भला नीलामी में प्लाट ले सकता है? मेरा सुझाव है कि नीलामी की बजाये आप लाटरी सिस्टम अख्तियार कीजिये जैसाकि पहले होता था। सरकार की आर्थिक व्यवस्था अब अच्छी है इसीलिए तो हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी किसानों के कर्जे माफ कर रहैं है। जो पहले ही गरीब आदमी हैं, उनके लिये यदि आप नीलामी का सिस्टम अख्तियार करेंगे तो यह बड़ी ही अनुचित बात होगी। अगर नीलामी सिस्टम रहा तो किसी गरीब का नम्बर नहीं आएगा और कौलोनाइजर्ज बोली को बडा चढ़ा कर बोलेगे। मेरे शहर रोहतक में जहां मैं रहता हूं मेरे सामने तीस रुपए गज और पचास रुपए गज जमीन बिकती रही। मैंने तो अपनी कोई प्रौपटी बनाई नहीं और न बनानी है क्योंकि इसकी जरूरत वाला मामला मैंने किया ही नहीं हुआ है। (हंसी एवं विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय मिल से कहना चाहता हूं कि अब वहां पर 700 रुपए गज जमीन बिक रही है, उसे कौन लेगा? इतना पैसा कहां से आएगा? रोजगार का प्रश्न मेरे भाई रघु यादव ने उठाया और इसको लेकर वे बहुत परेशान हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे आपकी वजह से परेशान हैं, उन्हैं

बेरोजगारों की बात उठाई इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रदेश में बेकारी है लेकिन मैटर वालों के तो कान भी बन्द हैं और आखें भी बन्द हैं। अब हम 19 तारीख को उनके कान और आखें खोलेंगे। एक बार तो पहैंले खुल गए थे लेकिन जबान करके मुकर गए। तो मैं, स्पीकर साहब, कहना चाहता हूं कि हुड्डा को आप मासिज की सर्विस में रखें और मासिज की सर्विस में रखने के लिए आप पर्ची डाल लीजिए जिसकी किस्मत होगी उसकी खुल जाएगी। यह जर, जोरू और जमीन का मामला बहुत पुराना नहीं है सुना है अब भी चल रहा है। (विघ्न) तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जगह नीलामी पर न देकर लाटरी के जरिए दी जाए और हुड्डा को मासिज की सर्विस में रखना चाहिए। स्पीकर साहब, यह डैमोक्रेसी है। कांस्टीच्यूशन बनाने वालों ने क्यों सिस्टम औफ गवर्नमैंट जारी किया? यूरोप में भी यह सिस्टम है और हमने भी यह एडौप्ट किया हुआ है। इसलिए किया है कि आम आदमी का नुमायंदा यहां पर चुन कर आता है। जब अंग्रेजों का राज था तो म्यूनिसिपल कमेटियों की नालियां साफ होती थी, डी० सी० का दरबार लगता था और लाट साहब दौरे पर जाया करते थे। उसके बाद हम कास्टीच्यूशन इसलिए लाए कि आवाम के नुमायदे जानते हैं कि जूता कहां चुभता है। हुड्डा में आपने ऐसा बना दिया कि नौन औफिशियल मैंबर भरती कर लिए। असैम्बली के एम० एल० ए० रखे हैं लेकिन नोमिनेटिड रखे हैं। ऐसा करने से हुड्डा अच्छी रैपूटेशन प्राप्त नहीं कर रहा है। सुना है कुछ कौलोनाइजर्ज को भी उत्साह दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसे कौलोनाइजर्ज

को अपने नजदीक नहीं लगाना चाहिए। स्पीकर साहब, बड़ी मुश्किल से साँझे मोर्चे की सरकार ने इज्जत कमाई है और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसलिए हम जाने अनजाने में ऐसा इम्प्रैशन न दें कि खिचडा घसीटा में कोई अन्तर नहीं है। जैसे फरीदाबाद का मामला है। हमारे संसदीय कार्य मन्त्री महोदय जानते हैं कि वहां पर एक सी० ए० साहब बैठे हैं। वे कहते हैं कि सरकार मेरी जेब में है, मुझे यहाँ से कौन हटा सकता है। चलो भाई मान लिया कि तुम पर्मानैंट हो लेकिन पर्मानैट तो कोई भी नही। प्राइम मिनिस्टर, एम० एल० ए० या मिनिस्टर कोई भी पर्मानैंट नहीं है लेकिन उसकी कोई खास बात होगी। मैं कहना चाहूंगा कि जिद नहीं करनी चाहिए। डैमोक्रेसी में जिद नहीं चलती। लोगों को ऐसपायरेशन को समझना चाहिए कि वहां के लोग क्या कहते हैं। वहां का नुमायंदा क्या कहता है। वह ऐबनोर्मली क्यों बीहैंव करता है इस बात की स्टडी की जाए और जो बात ठीक हो वह कर देनी चाहिए स्पीकर साहब, सरकार ने जो भी स्कीम बनाई है उसमें सारे ब्यूरोक्रेटस इनवौलव होंगे। इलैक्टिड रीप्रैनैंटेटिव नहीं होंगे। यह ठीक है कि कुछ नौन–औफिशियल मैम्बर्ज भी रखे हैं। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि वे एट दी प्लैयर औफ दि गवर्नमैंट होंगे। यह तो आपको पता ही है और चौध री वीरेन्द्र सिंह जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आदमी एट दि प्लैयर ऑफ दि गवर्नमैंट होते हैं, वे जिले का इंट्रैस्ट वाच नहीं करते, वे किसी और इंट्रैस्ट को कच करते हैं। फिर इसमें यह फरमाया गया है कि नगरों का

विकास हो रहा है, फैलाव हो रहा है और कमेटियों का भी विकास होगा लेकिन यह नही बताया गया कि फरीदाबाद कम्पलैक्स का क्या होगा? वह स्क्रैप होगा या नहीं? मंत्री जी कृपया हम इस शंका का समाधान करें। धन्यवाद।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (अमेडमैंट) बिल, 1989 इस समय सदन के सम्मुख च ची मैं लिया गया है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटीज बनाई जाएं ताकि स्थानीय स्तर पर शहरों का योजनाबद्ध विकास किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे काम करती जा रही है। मैं भी इस सशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, शहरों में नागरिक सुविधाओं की दशा बहुत खराब है। शहरों में पानी, बिजली और सड्कों जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं, की बड़ी शोचनीय स्थिति है। शहरों के नागरिकों का जीवन नारकीय बना हुआ है। हमारे शहरों का योजनाबद्ध विकास हो और शहरों के नागरिकों को सभी सुविधाएं मिलें इसके लिए सरकार कुछ भी करे तो वह स्वागत योग्य बात है। अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि हमारी स्टेट में हुड्डा बैठा हुआ है और स्टेट गवर्नमैंट दूर के शहरों को कंट्रोल नही कर पाती इसलिए वहां पर गलत कार्य हो रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रिवाड़ी से चुनकर आया हूं। रिवाडी में जो दिल्ली रोड है, वह मेन रोड है और बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। वहां कांग्रेस सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री ने अपनी कई एकड़

जमीन प्लौट काट काट करके सोने के मोल बेच दी। न उसने उन प्लौटों में सड़कों का प्रोविजन रखा, न सिवरेज का प्रोविजन रखा और न ही दूसरी नागरिक सुविधाओं का प्रोविजन रखा। उसने कोई हिसाब किताब नहीं रखा और न ही लोकल अथौरिटी इस चीज को देख पाई। रिवाड़ी शहर के नागरिक पहले से ही मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं इस तरह से जमीन की गैर कानूनी सेल होने से रिवाड़ी शहर के नागरिकों को और असुविधाएं हो जाएंगी। सरकार ने स्थानीय स्तर पर हुड्डा अथौरिटीज बना दी। वह स्थानीय परिस्थितियों को देख कर विकास की योजना बनाएगी जिससे शहरों का योजनाबद्ध विकास होगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर साहब ने बोलते हुए कहा था और मैं भी कहता हूं कि चाहैं स्थानीय स्तर पर हो और चाहैं राज्य स्तर पर, स्टेट गवर्नमैंट सोच समझ कर लोगों को नौमिनेट करे। किसी ऐसे गलत व्यक्ति को नौमिनेट न करे जिसकी वजह से लोगों को सरकार को ओर अंगुली उठाने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा के कर्मचारी हजारों की तादाद में चण्डीगढ़ के अन्दर बैठे हुए हैं और उन कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर बड़ा रोष है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं यह बिल बहुत ही अच्छा है। लेकिन हुड्डा के कर्मचारियों में बहुत बेचौनी है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के सहयोग से, में तो कहता हूं कि सभी कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सहयोग से हम लोग इस सदन में चुनकर आए हैं इसलिए मैं कहता हूं कि कर्मचारियों में सन्तोष रहैं, उन में बेचौनी

न रहैं इस बारे में सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। हुड्डा के कर्मचारियों में बेचौनी है। सरकार ने इस संशोधन को लागू कर दिया है तो हुड्डा के कर्मचारियों की बेचौनी भी दूर की जानी चाहिए। उनकी जो भी मांगे हैं और जो जायज मांगे हैं वे सरकार को स्वीकार करनी चाहिएं। (विघन) मैं हुड्डा के कर्मचारियों की बात कह रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे सामने हुड्डा का अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत है। लेकिन पानीपत में एच०एस०ई०बी० के कर्मचारियों का एक नेता आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और कल पूरे हरियाणा प्रदेश में एच०एस०ई०बी० के कर्मचारियों की हड़ताल रही। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्न का तकाजा है कि यदि कर्मचारियों को कोई शिकायत हो या उनकी कोई जायज मांग हो तो. वह अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। चाहैं किसान हों और चाहैं मजदूर हों यदि उनको कोई शिकायत है या उनकी कोई जायज मांग है तो वे सरकार के सामने अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। यह नही है कि सारी मांगें जायज होती हैं, गलत भी हो सकती हैं लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी जो आयन मांग हो उसको मान लिया जाना चाहिए। इस सरकार को बनाने में इस प्रदेश के कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूं कि स्थानीय लेवल पर जो निकाय बनाये जा रहैं हैं उससे वहां के इलाकों में सुधार हो सकेगा, उनकी हालत जो अब तक खराब थी उसका कुछ सुधार हो सकेगा। और ये निकाय अपने लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकेंगे। इन बातों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्न्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नंद आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयके, 1989 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है कि हुड्डा एक बहुत नोटोरियस डिपार्टमैंट रहा है। जिस मन्त्री ने भी इसको हाथ लगाया वह बच कर निकल नहीं पाया, लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहैं हैं। इसके लिए मैं इन्हैं गांव के एक डूम की कहावत सुनाना चाहता हूं। एक डूम भागता हुआ आया कि बाहर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो लोग कहने लगे कि जब बारिश हो रही है तो तूं बचकर कैसे निकल आया। इस पुर वह कहने लगा कि जो बूंदे बाहर गिर रही है मैं उनसे इधर उधर बचता हुआ भाग आया हूं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी हुड्डा के केस में इधर–उधर निकल कर सही रास्ते पर पहुंच जायेंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। हमारी सरकार आने से पहले यहां पर कांग्रेस का शासन था। किस प्रकार से उस शासन के दौरान कौलोनाइजर्ज को लाईसैंस दिए गए थे। उनको किस प्रकार लाईसैसं देने के लिए हांसी में जाकर उस समय के मुख्य मंत्री के दस्तखत करवाये गए थे, किस प्रकार उस समय इन कौलोनाइजजं को लाईसैसं देते समय करोडों रुपये का लेन देन हुआ था, उस के बारे में पीछे इसी सदन में चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया था। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी सरकार ने इन कौलोनाइजर्ज को आगे लाईसैस न देने का

फैसला किया है। यह इस सरकार के लिए एक प्रशंसनीय बात है। मैं यह भी इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये कौलोनाइजर्ज बड़े तेज तर्रार और साधन सम्पन्न होते हैं। ये वहीं से दांव–पेंच लगा कर दांव मार जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पंचकूला में हुड्डा की तरफ से कुछ शोरूम्ज की औक्शन की गई थी। जिन कौलोनाइजर्ज ने या जिन लोगों ने इन शो रूम्ज को खरीदा था, बाद में उन्होंने उन शो रूम्ज को हिस्सों में करके बेच दिया। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि ये लोग पकड में कम ही आते हैं। इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं लेकिन जिन लोगों ने कोई एक प्लाट लिया हो और फिर उस प्लाट को आगे टुकड़े करके बेच दिया हो तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ अवश्य कदम उठाने चाहिएं। ये लोग हमेशा ही अपने बचने का रास्ता निकालते रहते हैं, इसलिए सरकार को उनके बचने के तरीकों के रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल के जरिए गुड़गांव और फरीदाबाद में स्थानीय निकाय बनाने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आवासीय समस्या तो सारे प्रदेश में बनी हुई है। इसके लिए मेरा सरकार को सुझाव है कि जहां पर छोटे–छोटे कस्वे हैं या दूसरे बड़े कस्बे हैं वहां पर म्यूनिसिप्ल कमेटीज को या डी०सी० को ऐसे अधिकारी दिए जाएं कि वे ऐसा कोई प्रबंध कर सकें जिनसे छोटे–छोटे लोगों को जिनके आज लगातार परिवार बढ़ रहैं हैं, कुछ आवासीय प्लौट कम रेटस पर उपलब्ध

करा सकें। ऐसे लोगों के लिए सस्ती दरों पर और बहुत कम दर पर डिवैल्पमैंट चार्जिज लगा कर प्लौट दिए जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के साथ ही हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद जिले लगते हैं। इन दोनों स्थानों पर दिल्ली के बड़े बड़े लोग आ कर बस गए हैं। ये बड़े बड़े लोग बड़े साधन सम्पन्न हैं। ये छोउटे छोटे प्लौटस नहीं खरीदते बल्कि 500 गज से लेकर 1000 गज तक के प्लौटस खरीद रहैं हैं और बड़ी भारी कीमत पर खरीद रहैं हैं। इसलिए मेरी सरकार से पुनः मांग है कि सभी जगहों के लिए डिप्टी कमिश्नर को या वहां की कमेटी को यह अधिकार दिए जाएं कि वे गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर जाटों का अरेन्जमेंट करें ताकि जरुरतमंद लोगों को प्लौट उपलब्ध हो सकें?। यदि ऐसे अधिकार उनको दे दिए जाते हैं तो जो अवैध कालोनीज बन रही हैं, वे आगे डिवैल्प नहीं हो सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हुड्डा 1000– 1000 गज या 500–500 गज के प्लौट न बनाए क्योंकि इतने बड़े–बड़े प्लौट केवल बड़े–बड़े उद्योगपति, साधन सम्पन्न लोग या कौलोनाईजर्ज ही खरीद सकते हैं। 100 या 150 गज के प्लाट होने चाहिए, समो प्रकार के लोगों के लिए उनमें प्रावधान किया जाना चाहिए और गरीब लोगों को ही वे प्लौट अलाट किये जाने चाहिएं। अगर इन प्लौटों की नीलामी की जाएगी तो नीलामी में बड़े–बड़े लोग ही प्लौट ले जाएंगे। अमीर लोगों के लिए तो 1000 गज या 500 गज के प्लौट हैं, उनको नीलामी पर बेचा आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो 100 या 150 गज के प्लौटस हों वे साधारण, व्यक्तियों

के लिए, गरीब लोगों के लिए ही होने चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): अध्यक्ष महोदय, हुड्डा ने जो काम किया है वह आपके सामने है। मैं करनाल शहर की एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं करनाल शहर के अन्दर सैक्टर 13 और 14 में 1972 में 37/– रुपये गज के हिसाब से प्लौट्स दिये गए थे, लेकिन उन पर चार बार एन्हांसमैंट हुई है। पहली बार साढ़े नौ रूपये, दूसरी बार 8/– रूपये, तीसरी बार 37/– रूपये और चौथी बार 8/– रूपये की एन्हांसमैट की गई। इस प्रकार हमें आज तक यह पता नहीं चल सका कि हम कब तक यह एन्हांसमैंट देते रहैंगे। यह एन्हांसमैंट हमारे जीते जी कभी खत्म होगी भी या नही? इसके साथ सैक्टर 13 और 14 में जितनी भी सड़कें हैं उनका लैवल जमीन से एक फुट नीचा है। जो कालौनी बनी है वहां गन्दगी फैली हुई है, अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाएं तो दो–दो घण्टे पानी नहीं निकलता। यह पानी मुगल कैनाल में आने के कारण मुगल कैनाल गन्दा नाला बन गया है। उसको सुधारने के लिए हम कोशिश कर रहैं हैं और उसके लिंए हमने एक योजना भी बनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि यह एन्हांसमैंट बन्द होनी चाहिए और इसका कुछ–न–कुछ समाधान किया जाना चाहिए। अगर एन्हासमैंट की रकम किसी तरह से कम हो सकती है तो वह की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ी कालोनियां बनाई जा रही हैं,

उनमें बड़ी–बड़ी बिल्डिंग्ज जरूर बनें। वहां पर 7–7 या 8–8 मंजिले मकान बनाए जानें चाहिएं ताकि जमीन कम–सें–कम खर्च हो। जमीन एक्वायर करने के बाद कालोनीज बनाते समय०ंची से०ंची बिल्डिंगे बनाई जाएं और 1 कमरे, 2 कमरे या तीन कमरे के मकान बना दिए जाएं। इससे एक तो कन्स्ट्रक्शन का खर्च कम होगा दूसरे ज्यादा जमीन भी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके साथ–ही–साथ मेरे एरिया में 22 ऐसी कालोनियां हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कौलोनाईजर्ज तो जमीनें बेच गये और लोग वहां पर बस भी गए। लेकिन उन लोगों के लिए न तो सड़क का कोई प्रबन्ध है और न ही पानी, बिजली और सैनिटेशन की कोई सुविधा उन्हैं प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि उन कालोनियों के लिए भी सुविधा, बिजली, पानी, सीवरेज और सैनिटेशन का प्रबन्ध होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी के इस अमैंडिंग बिल पर 6–7 माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि तीन चार सदस्यों ने खुले रूप से इसका समर्थन किया है और दो तीन सदस्यों ने जो उनके मन में शंकाएं पैदा हो गई थीं, भ्रम पैदा हो गया था, उन्हैं साफ करने के लिए कहा है। स्पीकर सर, आपको पता ही है कि हमारे दो ऐसे पोटैन्शियल टाऊन हैं जो बिल्कुल दिल्ली के साथ स्टिक हुए हैं।

वे दो पोटैन्शियल टाऊन फरीदाबाद और गुड़गांव हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव पर बढ़ती हुई आबादी के कारणइतना दबाव पड़ा हुआ है कि हुड्डा जिसके चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर यहां पर बैठते हैं सैक्रेटरी साहब भी यहीं पर बैठते हैं और हुड्डा, के चेयरमैन का हैड–क्वार्टर भी यहां चण्डीगढ़ में ही है, के काम में काफी दिक्कत आती है। बढ़ते हुए प्रैशर को कोप विद करने के लिए मुश्किल आती है। काम करने में देरी लगती है इसलिए यहां से बैठ कर उसे कोप–विद नहीं कर सकते। उसे कोप विद करने के लिए और डिवैल्पमैंट की स्पीड ऐक्सैलरेट हो, इन्टेग्रेटिड डिवैल्पमैंट हो, इन्टेग्रेटिड प्लानिंग हो उसके लिए यह मौजूदा बिल लाया गया है ताकि गुड़गांव और फरीदाबाद में लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटी कायम की जा सके। जहां तक लोकल डिवैल्पमैंट अथौरिटी के कास्टिप्यूशन की बात है, जिसके बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों को जो श्रम था और अखबारात में पिछले दिनों चर्चा भी चली थी कि किसी कौलौनाइजर को चेयरमैन बनाया जा रहा है, गलत किस्म के मैम्बर्ज बनाए जा रहैं हैं, उन शंकाओं का समाधान हो गया होगा जब उन्होंने लोकल अथौरिटी के कांस्टिव्यूशन पर निगाह डाली होगी। जो चेयरमैन हुड्डा होगा, उसका चेयरमैन भी वही होगा और उसका वाईस चेयरमैन डिविजनल कमिशनर रैंक का अधिकारी होगा। उसका हैड–क्वार्टर फरीदाबाद और गुड़गांव में होगा। इसके अलावा और जो मैम्बर्ज बनाए गए हैं वे – वे लोग हैं जो डिवैल्पमैंट ऐक्सैलरेट करने में मददगार साबित होंगे। अन–अथोराइज्ड जो स्ट्रक्चर रेज अप किए जाते हैं उन पर ऐक्शन

लेने में उनको पूरी तरह इमदाद देनी होगी। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि जो कांस्टिन्यूशन के बारे में माननीय सदस्यों के सामने प्रचार किया जाता रहा है कि ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जाएगा यह सब गलत प्रचार है। यह वह सरकार है जिसने आते ही कौलोनाइजर्ज की लौबी, जो बहुत जबरदस्त क्रिएट हो गई थी, को खत्म किया। जिस प्रकार पिछली सरकार ने उन्हैं जमीनें अलाट करके और लाइसैंस देकर करोड़ों रुपए गलत तरीके से हासिल किए, इस मौजूदा सरकार ने लाइसैस देने बन्द किए और पालिसी अख्तियार की कि कौलोनाइजर्ज को लाइसैंस नहीं दिए जाएंगे। यह इसी सरकार ने आकर किया है।

स्पीकर सर, डाक्टर हरनाम सिंह ने बोलते हुए कहा कि इस बिल को पढ्ने का टाईम नहीं मिला इसलिए इसे सिलैक्ट कमेटी को सौंपा जाए। मैं आपके जरिए हाउस को बताना चाहूंगा कि यह अमैंडिंग बिल क्त शाम को मैम्बरान के पास पहुंच गया था। इससे हमने हुड्डा के मेन एक्ट में अमैंडमैंट की है और कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इस पर सदन में आने से पहले विस्तार से विचार किया गया है। पहले एक कमेटी. बनी, उसने विचार किया फिर कैबिनेट के सामने आया, उसने विचार किया। मैं डाक्टर हरनाम सिंह से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ही गुड इन्टैंशन से लाया जा रहा है ताकि डिवैल्पमैंट में कोई रुकावट न आये और जो प्रैशर हम पर आ रहा है उसको मीट विद कर सकें। मैं हाउस में पिछले दिनों का एक इनस्टान्स देना

चाहता हूं। अभी पीछे गुडगांव के एक सैक्टर में प्लौटस ऐक्सप्लोर किए हैं। उस सैक्टर में 515 या 520 प्लौटस थे। जब हमने ऐप्लीकेशंज इनवाइट की तो लाखों की तादाद में आयीं। लारवों ऐप्लीकेशन्ज 500 प्लौट्स के लिए आयीं। इस बात से आप अन्दाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त प्रैशर गुडगांव और फरीदाबाद पर पड़ा है। मंगल सैन जी ने कहा कि करोड़ों रुपए हासिल कर लिए और पता ही नहीं कि प्लौटस कहां गए और रुपया कहां गया।

डाक्टर साहब ने शायद खुद तो दरख्वास्त दी नहीं, वरना इनको पता लगता रहता कि वह सब चीज प्रोसैस में है। हमने पहली दफा यह फैसला किया है कि प्लौट्स की लाटरी निकलेगी और वह कम्पयूटर से निकलेगी। किसी प्रकार की कोई शको–शुबह की बात किसी को हो जाए, उसको हमने रूल आउट करने की कोशिश की है। पहले कम्प्यूटर से लाटरी नहीं निकलती थी। पहले कोई व्यक्ति ही लाटरी निकालता था। हमने सब शंकाओं का समाधान करने के लिए यह प्रीकाशन ली है कि हम कम्प्यूटर से लाटरी निकलवायेगे। वह कम्प्यूटर भी ऐसे लोगों के सामने चलेगा, जिनकी हम एक कमेटी कांस्टिव्यूट कर रहैं हैं। वे समाज के उच्च और ईमानदार लोग होंगे। हम उनसे इस बारे में रिक्वैस्ट करने जा रहैं हैं। 26 तारीख को इस लाटरी का ड़ा होने जा रहा है। मैं यह बात माननीय सदस्यों को, विशेष तौर पर डाक्टर मंगल सैन जी को बताना चाह रहा था। इसके अलावा

डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा कि हुड्डा के सैक्टरों में भाव बहुत०ंचे हैं। हीरा नन्द जी ने कहा कि गरीब लोगों के लिए भी प्लौट्स होने चाहिएं। तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट सर्वेट्स के लिए, बैकवर्ड क्लासिज के लिए, शड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए, वार विडोज के लिए और डिस–एब्लड ऐक्स–सर्विसमैन के लिए प्लौट्स बाकायदा रिजर्व हैं। इसके साथ ही वीकर सैक्शन्ज के लिए बाकायदा तौर पर प्राईस का भी लैवल फिक्स है। उनको लगभग 100 रुपए प्रति गज के हिसाब से प्लौटस अलाट किए जाते हैं और बड़े–वड़े प्लौट्स भी काटे जाते हैं तथा छोटे भी काटे जा ते हैं। बाकायदा हर कैटेगरी में रिजर्वेशन की पालिसी हुड्डा के अन्दर लागू है। डाक्टर साहब, जो 600 या 700 रुपए प्रति गज की बात कह रहैं थे, उसके बारे में मैं उनका बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के अन्दर जो कौलोनाईजर्ज की कालोनियां हैं, आप यह बात सुन कर हैरान होंगे कि कौलोनाईजर्ज उन कौलोनीज को डिवैल्प कर के 1800 रुपए प्रति गज तक प्लौट्स की बिक्री कर रहैं हैं। उसके मुकाबले में हुड्डा 500 या 600 रुपए प्रति गज के हिसाब से इसीलिए दे रहा है ताकि आम लोगों को सुविधा हो, वे प्लौट्स खरीद सकें और अच्छे सैक्टर्ज में बस सकें। इसके अलावा हमारे कुछ साथियों ने, रघु यादव जी ने और डाक्टर मंगल सैन ने इस बात की भी चर्चा की कि कल से हुड्डा के 2– 3 हजार ऐम्पलाइज धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके अन्दर बेचौनी फैली हुई है। स्पीकर सर, हुड्डा के ऐम्पलाईज मुझसे 11 तारीख को दो बार मिले। एक बार मैं जब–

पंचकूला गया था तो वहां पर उन्होंने मुझे अपना मैमोरैंडम दिया। मैंने उनको टाईम दिया कि आप शाम को साढ़े चार बजे मेरे निवास पर आ जाइए। मैंने उस दिन दूसरी बार शाम को दो घंटे तक उन की सारी बातें सुनी। उनको एक ही भ्रम था। वह भ्रम, आपने भी यह बिल पढ़ लिया होगा, इससे दूर होता है। मैंने उनको भी स्पष्ट कहा था कि तुम लोगों का कौमन कैडर रहैंगा अलग कैडर नहीं बनेगा। हमने उनको यह अश्योरेस भी दिलवाया था कि तुममें से किसी का भी रोजगार नहीं छिनेगा, तुममें से किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, किसी की भी रिट्रैचमैंट नही की जाएगी। सब ऐम्पलाइज को रखा जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों, किन लोगों ने उनको गुमराह किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुड्डा के एम्पलाइज जो बड़े डिस्पिलिन्ड लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लोगों का बड़ा काम किया है, हमेशा ही डिवैल्पमैंटल ऐक्टाविटीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, समझ से काम लेंगे। मैं असैबली में यह अश्योरैसं दे रहा हूं कि कोई रिट्रैचंमैंट नहीं होगी और किसी प्रकार की उनको तकलीफ नहीं होगी, उनका कौमन कैडर रखा जा पा है, बिल में भी इस बात का प्रावधान है। वे जो भटक रहैं हैं, उससे वे हटेंगे, अपने काम को संभालेंगे और देश–प्रदेश की प्रगति में हिस्सेदारी करेंगे, ऐसी मुझे उनसे आशा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः औन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री जी ने उनको संतुष्ट कर दिया था तो फिर वे धरना देने क्यों आए थे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेरे पास से तो तसल्ली करके गए थे। बाद में उनको किसने बहका दिया यह मुझे पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल भी हमने अपने सैक्रेटरी साहब को उनका मैमोरैन्डम लेने के लिए भेजा था। मेरे, सरकार के या अथौरिटीज के मन में किसी प्रकार का मैल उनके प्रति नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी बातें हैं तो उनको पूरी तरह से दूर करेंगे और उनकी तकलीफों को दूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, रघु यादव ने जिक्र किया कि रिवाड़ी दिल्ली सड़क पर एक फौरमर कांग्रेस मिनिस्टर ने कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर सोने के भाव बेच दी। वे माननीय सदस्य चले' गए हैं। अगर पूरे विस्तार से फैक्ट्स मेरे सामने रखें तो हम कुछ एक्शन अगर ले सकते हैं तो जरूर लेगे। डा० मंगल सैन ने कहा कि आप म्यूनिसिपल कमेटीज और कार्पोरेशन बना सकते हैं और महैंन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि डैमोक्रेसी का तकाजा है कि इलैक्टिड लोगों को जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय पिछली बार जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाए गए थे ताकि शहरों की पोजीशन साफ सुथरी हो और शहरों में 'डिवैल्पमैंट हो लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह तजुर्बा अनसक्सैसफुल रहा। उसी तजुर्बे को

मद्देनजर रखते हुए और उनकी नाकामयाबी को मद्देनजर रखते हुए यहं बिल लाया गया है। ताकि दोनों शहरों की डिवैल्पमैंट काफी हो, अच्छे ढंग से हो, प्लैन्ड मैनर से हो, अच्छे सैक्टर डिवैल्प हों और सब लोगों को सुविधा हो। डाक्टर साहब. को एक गल्त फहमी हो गई कि हम रेजीडैशियल प्लौटस नीलाम करते हैं लौटरी नही निकालते हैं 1 मैं डा० साहब को बताना चाहता हूं कि हम आमतौर पर लौटरी निकालते हैं और लौटरी के जरिए ही प्लौटस दिए जाते हैं। इसके अलावा महैंन्द्र प्रताप सिंह ने ऐक्स सर्विसमैन कोआप्रेटिव सोसायटी की चर्चा की। अध्यक्ष महोदय यह सोसायटी ऐसी है जिसने हुड्डा के ऐक्सटर्नल डिवैल्पमैटल चार्जिज अभी देने हैं। वे किस प्रकार 100 रुपए और 200 रुपए गज जमीन दे सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसके अलावा श्री बजाज ने कहा कि जमीन के रेट की ऐन्हासमैंट को रोका जाना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह हमारे बस की बात नहीं है। पार्टीज कोर्ट में चली जाती है। कोर्टस ऐन्हासमैंट करती हैं तो फिर हमें अलौटीज से वसूल करना पडता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्वायंटस उठाएं हैं उन सब का जवाब मैं दे पाया हूं और जो शंकाएं माननीय सदस्यों ने की थीं उनको दूर करने में कामयाब रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है।

Mr. Speaker ; Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the. Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have neceived notice of an amendment to this clause fnom Shri Harnam Singh, M.L.A. He may please move his amendment.

Shri Harnam Singh : Sir, I beg to move the following amendment—

That clause (j) of proposed section 63(1) be substituted as under :

"(j) Chairman of the Municipal Committee, members of the Legislative Assembly in whose constituency the local development area falls and Chief Executive Officers of the Municipality or Chief Administrator of Complex Administration, as the case may be".

Mr. Speaker : Motion moved--

That clause (j) of proposed section 63(1) be substituted as under—

"(j) Chairman of the Municipal Committee, members of the Legislative Assembly in whose constituency the local development area falls and Chief Executive Officers of the Municipality or Chief Administrator of Complex Administration, as the case may be."

Mr. Speaker : Question is—

That clause (j) of proposed section 63(1) be substituted as under—

"(j) Chairman of the Municipal Committee, members of the Legislative Assembly in whose constituency the local development area falls and Chief Executive Officers of the Municipality or Chief Administrator of Complex Administration, as the case may be."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause (1) stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be theyTitle of the Bill.

The motion was carried.

(3) दि हरियाणा लैजिसलैटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन औफ मैम्बर्ज) अमैंडमेंट बिल, 1989

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mrr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill,

1989. He will also move that the Bill be taken into consideration at once.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh); Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1989.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the. House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause (I) stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bilr.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed .

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, जब यह बिल इंट्रोडयूस हो रहा था तो सी० पी० आई० व सी० पी० एम० के दोनों मैम्बर हाउस से उठकर चले गये थे। क्या वे यह लिखकर देंगे कि जब तक वे मैम्बर रहैंगे, वे यह बढ़ा हुआ भत्ता नहीं लेंगे? मैं यह रिक्वेस्ट आपके द्वारा उन से करना चाहता हूं। इसके साथ, स्पीकर साहब, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किए जाए।

Mr Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी' (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Vet ender Singh) Sir, I introduce the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989.

Sir, I also beg to move—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House w II consrder the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed .

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

(1) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon. Members, **I** have received a notice of motion under Rule 84 from Shri Mangal Sein, M. L. A., for discussion of the Report of Sarkaria Commission, which was laid on the Table of the House by the Parliamentary Affairs Minister on 22nd February, 1989 with reference to **a** supplementary to Starred Question No . 674.

Now Shri Mangal Sein, will move his motion. (Shri Mangal Sein was not present in the House)

Mr. Speaker : As the hon. Member is not present the motion is not moved.

(2) वर्ष 1985–86 के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लिए की वार्षिक रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon. Members, **I** have received a notice of motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya,

M.L.A., for the discussion of the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1985-86, which was laid on the Table of the House on 21st February, 1989.

Now, Shri Hira Nand Arya, may please move his motion.

Shri Hira Nand Arya : Sir, I beg to move—

That the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hisar, for the year 1985-86, which was laid on the Table of the House on 21st February, 1989, be discussed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1985-86, which was laid on the Table of the House on 21st February, 1989, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा संमय नहीं लूंगा। हमारी ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार, एक बहुत अच्छी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसमें ऐग्रीकल्वर के विषय में काफी महत्वपूर्ण काम किए गए हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी बातें रिपोर्ट में आई हैं कि उनकी रिपोर्ट अब अच्छी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वहां का जो बोर्ड आफ मैनेजमैंट है, वह एम० डी० यू० रोहतक की तरह होना चाहिए। एम० डी०यू० रोहतक को मैंनेजमैंट में ऐम्पलाइज के रिप्रैजैंटेटिव्ज भी शामिल हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में भी ऐम्पलाइज के रिप्रैजैंटेटिव्ज

को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और उनको प्रशासनिक हिस्सेदारी का पूरा लाभ दिया जा सके। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि एच० ए० यू० की ऐनुअल रिपोर्ट के पेज चार पर बोर्ड औफ मैंनेजमेंट के इम्पौटेन्ट डिसिजन में रोटेशन औफ डीन्ज/डायरैक्टर्ज/हैड औफ डिपार्टमैंट का जिक्र किया गया है। रोटेशन पालिसी सैद्धान्तिक रूप में बड़ी अच्छी है लेकिन रोटेशन पालिसी को नियमित रूप से बिना भेदभाव के लागू रखना चाहिए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के चौप्टर चार में ऐक्सटैंशन ऐजूकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। एच० ए० यू० के ऐक्सटैशन वर्क की सभी जगह प्रशंसा होती रही है लेकिन पिछले तीन चार साल से इसमें बहुत डीटिरियोरेशन हुई है इस रिपोर्ट के पेज 196 पर जो टेबल दी गई है उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि कृषि ज्ञान केन्द्र राज्य के हर गांव में बड़ा भारी काम कर रहैं हैं। जैसाकि टेबल नम्बर दो के आइटम नम्बर 17 के मुताबिक 6195 गांवों का विजिट एक साल में किया गया दिखाया है जोकि बड़ी असम्भव बात है। अध्यक्ष महोदय, टेबल नम्बर दो की आइटम नम्बर तीन के मुताबिक 75 हजार किसानों को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी गई, 49 हजार किसानों को सब डिविजन लैवल पर और 62 हजार किसानों को विलेज लैवल पर ट्रेनिंग दी गई। यह रिपोर्ट वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि यदि अलग अलग 12 जिलों के किसानों को एक ही विशेषज्ञ ने ट्रेनिंग दी तो उसी विशेषज्ञ को

12 बार गिन लिया गया है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि कृषि शान केन्द्रों में किसानों की जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञ नहीं हैं। भिवानी में क्रौप साईंस का कोई विशेषज्ञ नहीं है फिर भी उसे कृषि ज्ञान केन्द्र कहते हैं। वहां पर ऐग्रोनोमी, सोआयल साईंस और प्लांट प्रोटैक्शन फसलों के तीनों महत्वपूर्ण विषयों के विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। यदि किसी कृषि ज्ञान केन्द्र में फसलों के महत्वपूर्ण विषयों के विशेषज्ञों के पद रिक्त पड़े हों तो कृषि ज्ञान केन्द्र किस तरह– से फसलों की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन जब रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस समय प्रोग्रैस दिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐक्सटैंशन का कार्य किस तरह से कागजों पर होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। डायरैक्टर औफ एऐक्सटैंशन के कृषि ज्ञान केन्द्रों के विशेषज्ञों के लिए मंथवाइज वर्क शडयूल फार 1988– 89 छपवाई, जो जुलाई, 1988 से जून, 1989 के लिए है और यह जनवरी 1989 में छपवाई गई है जबकि साल के सात महीने बीत गए लेकिन इस रिपोर्ट पर तारीख डाली गई है 30 जून, 1988 तो इस तरह के ऐक्सटैंशन वर्क होते हैं। अध्यक्ष महोदय, एच०ए० यू० के अच्छी नस्लों की गाय और भैंसों को लेने के लिए किसानों में बड़ी होड़ होती है लेकिन यूनिवर्सिटी किस तरह से किसानों की सेवा करती है इसका एक ताजा उदाहरण कल के जनसत्ता अखबार ने छापा है। अध्यक्ष महोदय, जनसत्ता अखबार में छपा है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पशु कालेज के दो विभाग अपने अपने विभाग के कुछ नकारा पशुओं की नीलामी 15 और 16 मार्च को करने जा रहैं

हैं।. पशु उत्पादन और प्रबंध विभाग ने नीलामी में बेचे जाने वाले पशुओं की सूची बना ली है। उस सूची के अनुसार ओं में से 10 भैंसे ऐसी हैं जो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं, सूखी हैं और ये सभी भैंसे बांझ हैं जिनका एक एक थन भी बंद हो चुका है। इसके अलावा पशु प्रजनन विभाग के जो 19 पशु नीलाम किए जाऐंगे वे भी बिल्कुल नाकारा हैं। अध्यक्ष महोदय, इन पशुओं की बीमारियों या बांझपन का इलाज जब इस विश्वविद्यालय के माहिर खुद नहीं कर सके तो किसान किस तरह से इनका इलाज करवा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि ये पशु उन लोगों को बेचे जाएंगे जो बाद में पशुओं को मार कर उनकी खाल का इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर किसान द्ध देने वाले पशुओं को खरीद भी लें तो उनको यह कैसे पता लगेगा कि कौन से पशु को कौन सी छूत की बीमारी है। हो सकता है किसान के दूसरे पशुओं को भी वह बीमारी लग जाए। अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हो रही है जैसे अपने घर की सफाई करके कूड़ा दूसरे के घर के सामने फैंक दो। क्या ऐसा करके यूनिवर्सिटी अपनी बला दूसरे के सिर नहीं मढ़ रही है? अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की यूनिवर्सिटी का एक डैजर्ट डिवैल्पमैंट रिसर्च प्रोजैक्ट लौहारू में खोलने की प्रपोजल है। यह बहुत ही सराहनीय काम है। इस प्रोजैक्ट के लिए जमीन भी देख ली गई है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इसका काम जल्दी शुरू किया जाए। इन

शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, एच०ए० यू० की 1985–86 की ऐनुअल रिपोर्ट पर बोलते हुए आर्य साहब ने अपनी बातें कहीं हैं। आर्य साहव ने जो बातें कही हैं वे इस रिपोर्ट के अन्दर से पढ़ कर ही कही हैं। स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार आने के बाद वहां की बोर्ड औफ मैनेजमैंट में काफी सुधार किया गया है। पहले की मैनेजमैंट में अनपढ़ लोग होते थे। उनेका कोई मैन औफ स्टेट्स नहीं होता था। आज के दिन मौजूदा सरकार ने वहां की मैनेजमैंट में ऐसे मैम्बर नौमिनेट किए हैं जिनका बाकायदा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा और जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं उनमें भी सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एच०ए०यू० तो एशिया की सब्रसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और हमारी सबसे प्रैस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। इसको बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए सरकार कदम उठायेगी, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना, स्थान लेता हूं।

(3) वर्ष 1986–87 केलिए हरियाणा राज्य क्तिली बोर्ड की प्रशासनिक रिपोर्ट:

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of motion under rule 84 from Shri Raghu Yadav, M.L.A., for the discussion of the Administration Report of the Hanyana

State Electricity Board for the year 1986-87 which was laid on the Table of the House on 23rd February, 1989.

Now Shri Raghu Yadav, may please move his motion. (Shri Raghu Yadav was not present in the House)

Mr. Speaker : As the Hon. Member is not present the motion is not moved.

Now the House stands adjourned sine-die.

***12.57 hours**

(The House then adjourncd sine-die)